

हृदय मंथन के
पांच दिन
सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय,
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

चौथी बार : १९६१
मूल्य
[redacted]से
संशोधित मूल्य... ५

मुद्रक
राष्ट्रभाषा प्रिन्टर्स
दिल्ली

प्रकाशकीय

महात्माजी का यह उपवास एक अप्रत्याशित घटना थी। लोगों को इतना तो पता था कि देश की अशांतिपूर्ण स्थिति के कारण महात्माजी अत्यन्त दुखित हो रहे हैं; लेकिन वे उपवास करने का निश्चय कर बैठेंगे, इसका किसीको भी अनुमान न था, यहांतक कि उनके संगी-साथी भी नहीं जानते थे। वस्तुतः गांधीजी की वेदना इतनी असह्य हो उठी थी कि उन्हें विवश होकर अपने अन्तिम अस्त्र का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

उपवास के ये पांच दिन हृदय-मंथन के दिन थे। बापूजी ने तो कहा ही था कि यह उपवास उन्होंने आत्म-शुद्धि के लिए किया था। देशवासियों को भी उन दिनों अपना दिल टटोलने और अपनी भूल का परिमार्जन करने का अवसर मिला। महात्माजी के इस कदम से भारत की राजधानी दिल्ली में पूर्ण शान्ति स्थापित हो गई थी, यह तो नहीं कहा जा सकता; लेकिन इतना निर्विवाद है कि उससे यहां के वातावरण के शान्त होने में बहुत-कुछ सहायता मिली।

स्थायी महत्त्व के होने के कारण हम इन भाषणों को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। विश्वास है, पाठक इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।

चौथा संस्करण

प्रथम संस्करण की पांच हज़ार प्रतियां छापी थीं, जो एक सप्ताह के भीतर हाथों-हाथ बिक गईं और पाठकों की मांग को देखकर हमें दूसरा संस्करण तत्काल निकाल देना पड़ा। वह भी खप गया और तीसरा भी। हर्ष की बात है कि अब चौथा संस्करण प्रकाशित हो रहा है।

इस बीच बापूजी चले गये, पर अपने सिद्धान्तों और आदर्शों के रूप में वह आज भी हमारे बीच विद्यमान हैं।

—मंत्री

विषय-सूची

परिशिष्ट

हृदय-मंथन के पांच दिन

: १ :

उपवास का निर्णय

सेहत सुधारने के लिए लोग सेहत के कानूनों के मुताबिक उपवास करते हैं। जब कभी कुछ दोष हो जाता है और इन्सान अपनी गलती महसूस करता है तब प्रायश्चित्त के रूप में भी उपवास किया जाता है। इन उपवासों में उपवास करनेवाले को अहिंसा में विश्वास रखने की जरूरत नहीं; मगर ऐसा मौका भी आता है, जब अहिंसा का पुजारी समाज के किसी अन्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लिए उपवास करने पर मज़बूर हो जाता है। वह ऐसा तब ही करता है, जब अहिंसा के पुजारी की हैसियत से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं रह जाता। ऐसा मौका मेरे लिए आ गया है।

जब ६ सितम्बर को मैं कलकत्ते से दिल्ली आया था तब मैं पश्चिमी पंजाब जा रहा था। मगर वहां जाना नसीब में नहीं था। खूबसूरत रौनक से भरी दिल्ली उस दिन मुर्दों के शहर के समान दीखती थी। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, मैंने देखा कि हरेक के चेहरे पर

उदासी थी। सरदार, जो हमेशा हँसी-मजाक करके खुश रहते हैं, वे उस उदासी से बचे नहीं थे। मुझे उस समय इसका कारण मालूम नहीं था। वे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए आये हुए थे। उन्होंने सबसे पहली खबर मुझे यह दी कि यूनियन की राजधानी में झगड़ा फूट निकला है। मैं फौरन समझ गया कि मुझे दिल्ली में ही 'करना या मरना' होगा। फौज या पुलिस के कारण आज दिल्ली में ऊपर से शान्ति है, मगर दिल के भीतर तूफान उछल रहा है। वह किसी भी समय फूटकर बाहर आ सकता है। इसे मैं अपनी करने की प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं समझता, जो ही मुझे मृत्यु से बचा सकता है—मृत्यु से, जिसके समान दूसरा मित्र नहीं। मुझे बचाने के लिए पुलिस और फौज के द्वारा रखी हुई शान्ति ही काफ़ी नहीं। मैं हिन्दू, सिख और मुसलमानों में दिली दोस्ती रखने के लिए तरस रहा हूं। कल तो ऐसी दोस्ती थी। आज उसका अस्तित्व नहीं है। यह ऐसी बात है कि जिसको कोई हिन्दुस्तानी देशभक्त शान्ति से सहन नहीं कर सकता।

मेरे अन्दर से आवाज तो कई दिनों से आ रही थी मगर मैं अपने कान बन्द कर रहा था। मुझे लगता था कि कहीं यह शैतान की, यानी मेरी कमजोरी की, आवाज तो नहीं है! मैं कभी लाचारी महसूस करना पसन्द नहीं करता—किसी सत्याग्रही को नहीं करना चाहिए। उपवास तो आखिरी हथियार है। वह अपनी या दूसरों की तलवार की जगह लेता है।

जो मुसलमान भाई मुझसे मिलते रहते हैं उनके इस सवाल का कि वे अब क्या करें, मेरे पास कोई जवाब नहीं। कुछ समय से मेरी यह लाचारी मुझे खाये जा रही है। उपवास शुरू होते ही यह मिट जायगी। मैं पिछले तीन दिन से इस बारे में विचार कर रहा हूं। आखिरी निर्णय बिजली की तरह मेरे सामने चमक गया है और मैं खुश हूं। कोई भी इन्सान, जो पवित्र है, अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज कुरबान नहीं कर सकता। मैं आशा रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मुझमें उपवास करने के लायक पवित्रता हो। नमक, सोडा और खट्टे नीबू के साथ या इन चीजों के बगैर पानी पीने की मैं छूट रखूंगा। उपवास कल सुबह पहले खाने के बाद शुरू होगा।

उपवास का काल अनिश्चित है और मुझे जब यकीन हो जायगा कि सब कौमों के दिल मिल गये हैं, और वह बाहर के दबाव के कारण नहीं, बल्कि अपना-अपना धर्म समझने के कारण, तब मेरा उपवास छूटेगा।

आज हिन्दुस्तान का मान सब जगह कम हो रहा है। एशिया के हृदय पर और उसके द्वारा सारी दुनिया के हृदय पर हिन्दुस्तान का रामराज्य आज तेजी से गायब हो रहा है। अगर इस उपवास के निमित्त हमारी आंख खुल जाय तो यह सब वापस आ जायगा। मैं यह विश्वास रखने का साहस करता हूं कि अगर हिन्दुस्तान की आत्मा खो गई तो तूफानों से दुःखी और भूखी दुनिया की आंख की आशा की किरण का लोप

हो जायगा !

कोई मित्र या दुश्मन—अगर ऐसे कोई हैं तो—मुझपर गुस्सा न करें। कई ऐसे मित्र हैं, जो मनुष्य-हृदय को सुधारने के लिए उपवास का तरीका ठीक नहीं समझते। वे मुझ बर्दाश्त करेंगे और जो आजादी अपने लिए चाहते हैं, वही मुझे भी देंगे। मेरा सलाहकार एकमात्र ईश्वर है। मुझ किसी और की सलाह के बिना यह निर्णय करना चाहिए। अगर मैंने भूल की है और मुझे उस भूल का पता चल जाता है, तो मैं सबके सामने अपनी भूल स्वीकार करूंगा और अपना कदम वापस लूंगा। मगर ऐसी संभावना बहुत कम है। अगर मेरी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट है, और मैं दावा करता हूं कि ऐसा है, तो उसे रद नहीं किया जा सकता। मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ इस बारे में दलील न की जाय और जिस निर्णय को बदला नहीं जा सकता; उसमें मेरा साथ दिया जाय। अगर सारे हिन्दुस्तान पर, या कम-से-कम दिल्ली पर, ठीक असर हुआ तो उपवास जल्दी भी छूट सकता है। मगर जल्दी छूटे या देर से छूटे या कभी न छूटे, ऐसे नाजुक मौके पर किसीको कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए।

मेरे जीवन में कई उपवास आये हैं। मेरे पहले उपवासों के वक्त टीकाकारों ने कहा है कि उपवास ने लोगों पर दबाव डाला और अगर मैं उपवास न करता तो जिस मकसद के लिए मैंने उपवास किया,

उसके स्वतंत्र गुण-दोष के विचार से निर्णय विरुद्ध जानेवाला था। अगर यह साबित किया जा सके कि मकसद अच्छा है तो विरुद्ध निर्णय की क्या कीमत है? शुद्ध उपवास भी शुद्ध धर्म-पालन की तरह है। उसका फल अपने आप मिल जाता है। मैं कोई परिणाम लाने के लिए उपवास नहीं करना चाहता। मैं उपवास करता हूं, क्योंकि मुझे करना ही चाहिए।

मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि वे शान्त चित्त से इस उपवास पर तटस्थ वृत्ति से विचार करें और यदि मुझे मरना ही है तो मुझे शान्ति से मरने दें। मैं आशा रखता हूं कि शान्ति तो मुझे मिलने ही वाली है। हिन्दुस्तान का, हिन्दू धर्म का, सिख धर्म का और इस्लाम का, बेबस बनकर नाश होते देखना, इसकी निस्बत मृत्यु मेरे लिए सुन्दर रिहाई होगी। अगर पाकिस्तान में दुनिया के सब धर्मों के लोगों को समान हक न मिलें, उनकी जान और माल सुरक्षित न रहे और यूनियन भी पाकिस्तान की नकल करे तो दोनों का नाश निश्चित है। उस हालत में इस्लाम का तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में ही नाश होगा—बाकी दुनिया में नहीं—मगर हिन्दू धर्म और सिख धर्म तो हिन्दुस्तान के बाहर हैं ही नहीं।

जो लोग दूसरे विचार रखते हैं, वे मेरा जितना भी कड़ा विरोध करेंगे, उतनी मैं उनकी इज्जत करूंगा। मेरा उपवास लोगों की आत्मा को जागृत करने के लिए है, उसे मार डालने को नहीं। जरा

सोचिये तो सही, आज हमारे प्यारे हिन्दुस्तान में कितनी गन्दगी पैदा हो गई है। तब आप खुश होंगे कि हिन्दुस्तान का एक नम्र पुत्र, जिसमें इतनी ताकत है और शायद इतनी पवित्रता भी है, इस गन्दगी को मिटाने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है और अगर उसमें ताकत और पवित्रता नहीं है तब वह पृथ्वी पर बोझरूप है। जितनी जल्दी वह उठ जाय और हिन्दुस्तान को इस बोझ से मुक्त करे, उतना ही उसके लिए और सबके लिए अच्छा है। मेरे उपवास की खबर सुनकर लोग दौड़ते हुए मेरे पास न आवें। सब अपने आस-पास का वातावरण सुधारने का प्रयत्न करें, तो बस है।

नई दिल्ली, (मौनवार)
१२ जनवरी, १९४८

: २ :

पहला दिन

भाइयो और बहनो,

मुझे उम्मीद है कि मैं पंद्रह मिनट में जो कहना है, कह सकूंगा। कहना बहुत है, इसलिए शायद कुछ ज्यादा समय भी लगे।

आज तो मैं यहां (प्रार्थना-सभा में) आ सका, क्योंकि जब कोई फाका करता है तब पहले दिन—चौबीस घंटे तक तो किसीको कुछ लगना न चाहिए।

मैंने तो आज साढ़े नौ बजे खाना शुरू किया। उसी समय लोग आते रहे, बात करते रहे, इससे खाना ग्यारह बजे पूरा कर सका। सो आज के दिन की तो कीमत नहीं। इसलिए आज प्रार्थना-सभा में मैं आ सका हूं तो किसीको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तो आ-जा सकता हूं, बैठ सकता हूं और सब काम भी किया है। कल से जरा डर है। मैं यहां आऊं और न बोलूं, इससे अच्छा तो वहीं पड़ा रहकर विचार कर सकता हूं। आखिर भगवान का नाम ही लेना है तो वहीं लूंगा। कल से आपके सामने प्रार्थना में आना मेरे लिए मुश्किल मालूम होता है। मैं आना चाहूंगा, पर शायद आ न सकूं; लेकिन आप प्रार्थना सुनना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लड़कियां तो प्रार्थना करने आयंगी—सब नहीं तो एक आ जायगी; सो आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। मेरे यहां आने की आशा से आपको निराशा हो सकती है।

मैंने उपवास किया तो है, लेकिन कई पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? क्या मुसलमान ने गुनाह किया, हिन्दू ने गुनाह किया या सिख ने गुनाह किया? किसने गुनाह किया? उपवास कबतक चलनेवाला है? वगैरा। ठीक है, जो पूछते हैं कि क्या इल्जाम हमपर है, तो मैं कहता हूं कि इल्जाम किसी पर नहीं है। मैं इल्जाम लगानेवाला कौन हूं? हां, मैंने कहा जरूर है कि हम सब गुनहगार बन गये हैं, लेकिन कोई एक आदमी गुनहगार थोड़ा है! हिन्दू

मुसलमान को भगाते हैं तो कोई धर्म का पालन नहीं करते। फिर ग्राज तो हिन्दू और सिख दोनों मिलकर यह कर रहे हैं; लेकिन मैं तो सब हिन्दुओं या सब सिखों पर भी इल्जाम नहीं लगाता हूं; क्योंकि सबने थोड़े ही ऐसा किया है। यह समझने की बात है। न समझें तो मेरा काम नहीं चलेगा और उपवास भी नहीं बन्द होगा। अगर मैं अपनेको जिन्दा नहीं रख सका, तो इसका भी दोष किसी पर नहीं है। अगर मैं नालायक सिद्ध होता हूं तो ईश्वर मुझे उठा लेगा। और उठा भी ले तो कौन-सी बड़ी बात है? इस पर मुझसे पूछते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुसलमानों के लिए करते हो। ठीक कहते हैं। मैं कबूल करता हूं कि मैंने उपवास उनके लिए किया; लेकिन क्यों? क्योंकि आज मुसलमान यहां तेजी खो बैठे हैं–हुकूमत का एक किस्म का सहारा था कि इतनी जगह मुसलमानों को है, मुस्लिम लीग की बात यहां चलती है, वह अब रहा नहीं। मुस्लिम लीग का सहारा सच्चा नहीं है। लीग ने (हिन्दुस्तान के) दो टुकड़े करवा दिये। इसके बाद भी मुसलमान तो यहां रहते हैं। इसलिए मेरा तो हमेशा से ऐसा मत रहा है कि जो थोड़ी गिनती के लोग हैं, उनकी मदद की जाय। ऐसा करना मनुष्य-मात्र का धर्म है।

यह आत्म-शुद्धि का उपवास है। इससे तो सबको शुद्ध होना चाहिए। सबको शुद्ध नहीं होना है, तो फिर मामला बिगड़ जाता है। सबको शुद्ध होना है यानी मुसलमान को भी होना है। सबको साफ-सुथरा और

शुद्ध बन जाना है। मुसलमान कुछ भी करें तो उनका कोई दोष नहीं निकालना है। आत्म-शुद्धि का उपवास इस तरह से नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि मैंने किस का गुनाह किया तो जो हम गुनाह कबूल करते हैं वह प्रायश्चित्त है।

मैं जो-कुछ कहता हूं वह मुसलमान की या किसी और दूसरे की खुशामद करने के लिए नहीं कहता हूं। मैं तो अपनेको राजी रखना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं ईश्वर को राजी रखना चाहता हूं। मैं ईश्वर का गुनहगार नहीं बनना चाहता। मैं तो कहूंगा कि मुसलमान को भी शुद्ध बनना है और यहां रहना है।

बात ऐसी है कि चुनाव में—सही हो या गलत—हिन्दू और सिखों ने मुस्लिम लीग को मान लिया। उसके पहले भी मानते थे और कहते भी थे। मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। इसके बाद देश के दो हिस्से हो गये। पर उससे पहले दिल के हिस्से हो गये। उसमें मुसलमानों ने भी गलती की। सब गलती उन्हींकी थी, ऐसी बात नहीं है। हिन्दू, सिख, मुसलमान--तीनों गुनहगार थे। अब तीनों गुनहगारों को दोस्त बनना है। इन तीनों के बीच में एक चीज मौजूद है, वह है ईश्वर। उसको सब मानें, शैतान को नहीं, तो यह काम बन सकता है। मुसलमान भी ऐसे काफी पड़े हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, खुदा की नहीं। काफी हिन्दू भी शैतान और राक्षस की पूजा

करते हैं, सिख भी गुरु नानक और दूसरे गुरुओं की पूजा नहीं करते—ऐसे हम बन गये हैं। अगर हम तीनों धर्म-पथ पर चलें तो किसी एक को भी डरने की आवश्यकता नहीं है।

मैंने मुसलमानों के नाम से उपवास शुरू किया है। इसलिए उनके सिर पर जबरदस्त जिम्मेदारी आती है। वह जिम्मेदारी क्या है? उनको यह समझना चाहिए कि उन्हें हिन्दू और सिखों के साथ भाई-भाई बनकर रहना है। और वे भी इसी यूनियन के हैं, पाकिस्तान के नहीं। मैं यह नहीं पूछता हूं कि आप वफादार हैं या नहीं? पूछकर क्या करना है! मैं तो कामों से देखता हूं।

फिर सरदार का नाम लिया जाता है। वे कहते हैं कि सरदार को हटा दो। तुम अच्छे हो। फिर कहते हैं कि जवाहरलाल भी अच्छा है। और तुम हुकूमत में आ जाओ तो हुकूमत अच्छी चले। सब अच्छे हैं, सिर्फ सरदार अच्छे नहीं हैं। तो मैं मुसलमानों से कहूंगा कि मुसलमान ऐसा कहेंगे तो कोई बात चलनी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपका हाकिम वह मंत्रि-मंडल है। हुकूमत में न अकेले सरदार हैं और न जवाहर हैं। वे आपके नौकर हैं। उन सबको आप हटा सकते हैं। हां, ऐसा है कि सिर्फ मुसलमान उनको नहीं हटा सकते हैं, लेकिन आप इतना तो करें कि सरदार जो गलती करते हैं वे बतावें। मुझको-उनको बतावें। ऐसा नहीं कि उन्होंने यह बात कही, वह बात कही; लेकिन

उन्होंने किया क्या, यह बताओ। उनसे मैं मिलता रहता हूं और सुनता भी हूं तो मैं कह दूंगा। लेकिन इधर-उधर आपस-आपस में बातें करना ठीक नहीं। जवाहरलाल तो उनको हुकूमत में से निकाल सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ बात है। बल्कि वह उनकी तारीफ करते हैं। फिर मत्रि-मंडल है, हुकूमत है। सरदार जो कुछ करते हैं उसके लिए सारी हुकूमत जवाबदार है। आप भी जवाबदार हैं, क्योंकि वे आपके नुमाइंदे हैं। इस तरह हमारा काम चलता है। इसलिए मैं कहूंगा कि मुसलमानों को और बातें छोड़कर बहादुर, निर्भय बनना है। उसीके साथ खुदा-परस्त बनना है। वे ऐसा समझें कि हमारे लिए लोग नहीं है, कांग्रेस नहीं है, गांधी नहीं है, जवाहर नहीं हैं; कोई नहीं है। खुदा है, उसके नाम पर हम यहां पड़े हैं, मैं चाहता हूं कि हरएक मुसलमान इस तरह का बने। हिन्दू, सिख चाहे कुछ भी करते हैं, उसका आप बुरा न मानें; मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपके साथ मरना या जिन्दा रहना चाहता हूं। अगर मैं आप लोगों को साथ नहीं रख सकता हूं तो मेरा जीना निकम्मा बन जाता है। इसलिए मुसलमानों पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इसे आप भूलें नहीं। ऐसी बात नहीं कि मैं मुसलमान की गलती न निकालूं। क्यों न निकालूं ?

सरदार सीधी बात बोलनेवाले हैं। वह बोलते हैं तो बात कड़वी लगती है। उनकी जीभ ही ऐसी है, पर दिल

वैसा नहीं है। उसका मैं गवाह हूं। उन्होंने कलकत्ते में कह दिया, लखनऊ कह दिया, कि सब मुसलमानों को यहां रहना है, रह सकते हैं। साथ ही उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि मैं उन मुसलमानों का ऐतबार नहीं करता, जो कल तक लीगवाले थे और अपनेको हिंदू-सिख का दुश्मन मानते थे—वे जब कल तक ऐसे थे, तब आज एक रात में दोस्त कैसे बन सकते हैं? पीछे ऐसा है कि लीग यहां रहेगी तो वे लोग किसकी मानेंगे—हमारी हुकूमत की या पाकिस्तान की? लीग अभी भी वैसा ही कहती है तो इससे उनको शक होता है। उनको शक करने का अधिकार है, सबको शक करने का अधिकार है। सरदार ने जो कहा है अगर हम उसका सीधा अर्थ निकाल लें तो काम बन जाता है। जैसे कोई मेरा भाई है, लेकिन उसपर शक है तो क्या करूं। शक साबित हो तो तब काटूं, यही मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं पहले से ही भाई की बुराई करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह कहते हैं कि हमारे दिल में आज मुस्लिम लीग के मुसलमानों के बारे में ऐतबार नहीं है, उनपर कैसे भरोसा रखें? मुसलमान सबूत दें कि वे ऐसे नहीं हैं। ऐसा करें तो सब ठीक हो जाता है। तब मुझे यह कहने का हक मिल जाता है कि हिन्दू-सिख क्या करें।

इस संघ में, सरदार क्या करें, जवाहर क्या करें, उसमें और कोई भी क्या करें, मैं क्या करूं?

इन लड़कियों ने अभी जो गीत सुनाया है, वह गुरुदेव का प्रसिद्ध गीत है। नोआखाली में हम पैदल चलते थे तब

इस गीत को गाते थे। उसमें एक बात है। जब कोई आदमी अकेला चलता है तो किसीको कैसे बुलाते हैं ? आओ ऐ भाई, आओ ऐ भाई, मदद तो दे दो ! कोई नहीं आता है, अंधेरा है, तो गुरुदेव कहते थे कि अकेला चले तो भी क्या, क्योंकि उसका एक साथी—ईश्वर तो साथ हैं ही। मैंने आज लड़कियों से इस गीत को गाने को कहा तो उन्होंने गाया, नहीं तो यहां बंगाली गीत क्या गाना था ! हिन्दुस्तानी चलता ही था। उसमें बड़ा गुण पड़ा है। इसीसे मैंने कहा कि आज इसे गाओ। गुरुदेव का यह प्रिय भजन है। तो मैं कहूंगा कि अगर हिन्दू-सिख ऐसे नहीं बनते हैं, तो सच्चे नहीं हैं। उनमें इतनी बहादुरी नहीं है कि थोड़ी गिनतीवालों को भी रहने दें। क्या मारोगे-पीटोगे—मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, लेकिन ऐसी हवा पैदा कर दोगे कि सब मुसलमान पाकिस्तान जाने को मजबूर हो जायं, तो काम कैसे बन सकता है ? इसलिए कहता हूं कि हिन्दू-सिख को इतना बहादुर बनना है कि पाकिस्तान में मुसलमान चाहे कुछ भी करें, चाहे वे सभी हिन्दू और सिखों को मार डालें तो भी यहां ऐसा न हो। मैं वहां तक जिन्दा रहना नहीं चाहता कि यहां पाकिस्तान की नकल हो। मैं जिन्दा रहूंगा तो सब हिन्दू-सिखों से कहूंगा कि एक भी मुसलमान को न छूवें, एक भी मुसलमान को मारना बुजदिली है। हमें तो यहां बहादुर बनना है, बुजदिल नहीं।

उपवास छूटने की शर्त यह है कि दिल्ली बुलन्द

हो जाय। अगर दिल्ली बुलन्द हो जाती है तो सारे हिन्दुस्तान ही क्या, पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। अगर दिल्ली ठीक हो जाती है और यहां कोई मुसलमान भी अकेला घूम सकता है तो मेरा उपवास छूट जाता है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली राजधानी है। हमेशा से यह हिन्दुस्तान की राजधानी रही है। दिल्ली में सब ठीक नहीं होता है तो सारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में ठीक नहीं हो सकता। यहां कहें कि हम भाई-भाई बन सकते हैं, यहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख सब एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहां असली शान्ति के लिए एक दिन के बदले एक महीना लगे तो क्या, मेरा उपवास बीच में ही छुड़वाने के लिए कोई ऐसा काम न करे। इससे सारा हिन्दुस्तान तो बच जाता है। आज जो गिरा हुआ है, ऊंचा हो जाता है।

मैं यही चाहता हूं कि हिन्दू, सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान जो हिन्दुस्तान में हैं, यहीं रहें। हिंन्दुस्तान ऐसा बने कि किसीके जान-माल को नुकसान न पहुंचे। तब हिन्दुस्तान ऊंचा होगा।

नई दिल्ली, १३ जनवरी, १९४८

: ३ :

दूसरा दिन

भाइयो और बहनो,

कल तो मैंने आपको बताया था कि आज मैं यहां आ सकूंगा या नहीं, इसमें शक है। आ सका सो आज

आ गया। कल-परसों ऐसे दिन आनेवाले हैं कि मैं घूम नहीं सकूंगा। डाक्टर तो ऐसे हैं कि आज से ही मनाही करते हैं; लेकिन मैं तो डाक्टरों के हाथ में नहीं हूं, ईश्वर के हाथ में पड़ा हूं। मुझे ऐसा मोह नहीं है कि जिन्दां रहूं तो ठीक है। जिन्दा रखेगा तो वही रखेगा और मारेगा तो वही मारेगा। मेरी प्रार्थना है कि मेरी अटल श्रद्धा कायम रहे और उम्मीद करता हूं कि उस श्रद्धा में कोई विघ्न न डाले। आज तो ऐसा हो गया है कि आदमी दुर्बल पड़ा है और कहता है कि ईश्वर कहां है? ऐसे दुर्बल आदमी पड़े हैं। तो मैं कहता हूं सब सबल बनें, बहादुर बनें। तभी आदमी आपत्ति से निकल सकता है।

मेरे पास काफी तार आये हैं, मुसलमानों के भी काफी तार आये हैं, हर जगह से। हिन्दुस्तान के बाहर के भी काफी तार आये हैं। तो मैंने प्यारेलाल से कह दिया कि उनमें से काम के निकालो। कुछ तार तो ऐसे हैं कि जिनमें से लोगों को शिक्षा मिलेगी। ऐसे भी तार हैं कि हम सब ठीक कर लेंगे, आप उपवास छोड़ दो। पर उपवास ऐसे कोई छुट सकता है! ईश्वर ने करवाया है, ईश्वर ही छुड़वा सकता है। दूसरी कोई ताकत नहीं।

मृदुलाबेनका टेलीफोन आया था। वह तो लाहौर में पड़ी है। उसके काफी मुसलमान दोस्त हैं। वह हिन्दू लड़की है। वह व्याकुल बन गई है। छोटी थी तब से मेरी गोद में पली थी। अब तो बड़ी हो गई है। हर जगह घूमती है—अकेली। तो कहती है कि सब मुसलमान मुझसे पूछते हैं, अफसर भी पूछते हैं कि गांधी जो

कर रहे हैं वह हमारे लिए कर रहे हैं तो उनसे पूछो—क्या हमको बता देंगे कि हमसे वे क्या उम्मीद रखते हैं ? मुझको यह अच्छा लगा, तो उसका उत्तर देने के लिए कहे देता हूं। और जो लोग तार भेजते हैं उनको कहूंगा कि यह कौन-सी बड़ी बात है कि आप मेरे बारे में पूछते हैं ? पूछने की क्या जरूरत है ? यह दिल्ली का यज्ञ है, लेकिन सारे देश के लिए भी है। यह यज्ञ अकेले के लिए है या सबके लिए, ऐसा सवाल ही नहीं है।

यह उपवास आत्म-शुद्धि करने के लिए है। जहां आज शैतान बैठा है, वहां ईश्वर को बैठा दो और ऐसा बैठा दो कि शैतान उसे हटा न सके। तो उसकी कुछ निशानी होनी चाहिए। इसके लिए सब कोई तो उपवास कर नहीं सकते। यह मेरे ही शुभ नसीब में है। सबको ऐसा नसीब मिले तो सब प्रेम से चलें। हिन्दू कहता है कि मुसलमान को मारो, मुसलमान हिन्दू को मारने के लिए तैयार होता है, और सिख कहता है कि मुसलमान को मार डालो। इस तरह सिख, हिन्दू, मुसलमान झगड़ा करें तो बुरी बात है। यज्ञ में हिस्सा लेना है, लेना चाहते हैं तो सब भाई-भाई बन जायं, वैर-भाव के बदले प्रेम-भाव करें। हिन्दू, मुस्लिम, सिख—सब एक बनें तो उस जगह मैं शराब नहीं देखूंगा, अफीम नहीं देखूंगा, व्यभिचारी लोगों को नहीं देखूंगा, व्यभिचारिणी औरतों को नहीं देखूंगा। सब ऐसा समझेंगे कि यह मेरी बहन है, या मां है, या लड़की है। सब परहेज से रहें,

साफ-सुथरे रहें। अगर मैं समझूं कि मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूं, पाकिस्तान पाप से भरा है तो मुझे प्रायश्चित्त करना होगा और कहना होगा कि पाकिस्तान पाप-भूमि नहीं, पाक-भूमि है। ऐसा बनना है तो अच्छा है। पर कहने से नहीं होगा, करने से बनेगा। पाकिस्तान में जितने मुसलमान पड़े हैं वे ऐसे रहें तो इसका असर इधर भी होगा। पाकिस्तान ने हिन्दुओं के साथ गुनाह किया है, यह मैंने कभी छिपाया नहीं है।

अभी करांची में क्या हो गया ? बेगुनाह सिख मार डाले गये, जायदाद लूट ली गई। अब सुनता हूं कि गुज-रात में भी हो गया। मैं सब किस्सा नहीं कहना चाहता हूं। मैं मुसलमानों को कहता हूं कि आपके नाम से पाकिस्तान में ऐसा बनता रहे तो पीछे हिन्दुस्तान के लोग कहांतक बर्दाश्त करेंगे ? मेरी तरह सौ आदमी भी फाका करें तो भी नहीं रुक सकता है। मेरे जैसे कमजोर के फाका करने से क्या होगा ? तो आप ऐसा करें कि सब अच्छे बन जायं। कोई मुसलमान हो, कबीलेवाले हों तो उनको भी अच्छा बनना है और कहें कि हम सब सिख-हिन्दू को यहां वापस लानेवाले हैं।

कवि ने कहा है कि अगर आपको जन्नत देखना है तो वह यहां हैं, बाहर नहीं है। पर वह तो एक बगीचे के लिए कहा है। पर जन्नत ऐसे होता नहीं है। अगर हिन्दू, मुस्लिम, सिख—सब ऐसे शरीफ बनें, सब-के-सब भाई-भाई बनें तो कहूंगा कि वही शेर सबके दरवाजे में लगाये जायं। पीछे कहूंगा कि वहीं नहीं, यहां

भी लगाये जायं। लेकिन कब लगाया जायगा, जब पाकिस्तान पाक हो जायगा। कहना एक और करना दूसरा, तो दोजख हो जायगा। दिल को साफ कर लो, उसमें शैतान नहीं, खुदा को विराजमान करो। ऐसा करोगे तो जन्नत यहीं है। जन्नत देखना हो तो वहां देखो। अगर वहां ऐसा हो जाय तो हम यहां मुकाबला करेंगे और उससे भी अगे बढ़ने को कोशिश करेंगे।

हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हैं तो क्या, दिल तो एक हो गया है। भूगोल में टुकड़ रहें तो क्या हुआ, हुकूमत अलग है तो उससे क्या ? सारी दुनिया में हुकूमतें अलग-अलग हैं। हुकूमत पचास रहें, पांचसौ रहें तो क्या ! मैं तो कहूंगा कि सात लाख गांव है तो सात लाख हुकूमत बनीं, ऐसा मानो। तो वह छोटी होगी, अच्छी रहेगी।

मुझसे कहते हैं कि आप एक छोटी-सी चीज को लेकर उपवास कर लेते हैं; लेकिन मैं क्या करूं ? मैं बचपन से ऐसा बना हूं। जब छोटा था तब अखबार भी नहीं पढ़ता था। मैं सच कहता हूं कि अखबार नहीं पढ़ता था। मैं अंग्रेजो मुश्किल से पढ़ सकता था, गुजराती भद्दो जानता था। तब से मेरा खयाल रहा है कि सारे हिन्दुस्तान में—राजकोट में ही नहीं—हिन्दू सिख, पारसी, ईसाई, मुसलमान सब एक बनकर रहें तो हम यहां आराम से रह सकते हैं। मेरा ऐसा ख्वाब रहा है। अब तो स्वराज आया है, पर वह निकम्मा है। जवानी में मैंने जो ख्वाब देखा है वह अगर सच्चा होता है तो मेरा दिल नाचेगा, बच्चे नाचेंगे और देखेंगे

कि हिन्दुस्तान में सब कुशल हैं, लोग लड़ते-भिड़ते नहीं हैं, साथ रहते हैं। आप सब इस काम में मदद करें। पाकिस्तान के लोग सुनेंगे तो वे भी नाच उठेंगे। सिख, हिन्दू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सब भूल जायं कि हम दुश्मन थे, अलग-अलग थे। अगर हम अपने-अपने धर्म में कायम रहें और अच्छे बनें तो सब धर्म एक साथ चल सकते हैं। सब शरीफ रहेंगे। इस तरह से दोनों हिन्दुस्तान बन जायं तो मैं नाचूंगा और आपको भी नाचना पड़ेगा। वह तो एक नशा है—ईश्वर ऐसा नशा देगा कि फिर हमें किसी का डर नहीं रहेगा। हम ऐसे नहीं डरनेवाले हैं कि यह सिख है या ऊंचा पठान है। हमें तो सिर्फ ईश्वर से डरना है। मैं ऐसा देखना चाहता हूं।

आप अपनेको ऐसा बना सकते हैं। समाज क्या है? आप सबसे समाज बना है। हम उसमें हैं तो समाज बनता है। समाज हमको नहीं बनाता है। हम उसको बनाते हैं। हम सोये हुए पड़े हैं। इसलिए कहते हैं कि समाज ऐसा है और हम समाज से लाचार हैं। उसी तरह हुकूमत है। हुकूमत तो हम हैं। एक आदमी ऐसा कर सकता है। एक है तो अनेक बनेगा, एक नहीं तो शून्य नहीं है।

नई दिल्ली

१४ जनवरी १९४८

: ४ :

तीसरा दिन

[बिस्तर पर लेटे-लेटे दिया गया प्रवचन]

भाइयो और बहनो,

मेरे लिए यह एक नया अनुभव है। मुझको इस तरह से लोगों को सुनाने का कभी अवसर नहीं आया है, न मैं चाहता था। मैं इस वक्त, जिस जगह प्रार्थना हो रही है, वहां नहीं जा सकता हूं। इसलिए प्रार्थना में जो लोग आये हैं वहां तक मेरी आवाज यहां से नहीं पहुंच सकती है। फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों तक, जिधर आप बैठे हैं, मेरी आवाज पहुंच सके तो आपको आश्वासन मिलेगा और मुझको बड़ा आनन्द होगा। मैंने लोगों के सामने कहने को जो तैयार किया है, वह लिखवा दिया था। ऐसी हालत कल रहेगी कि नहीं, मैं नहीं जानता।

आप लोगों से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हरएक आदमी, दूसरे क्या करते हैं उसे न देखें, बल्कि अपनी ओर देखें और जितनी आत्म-शुद्धि कर सकते हैं, करें। मुझे विश्वास है कि लोग बड़े परिमाण में आत्म-शुद्धि कर लेंगे तो उनका हित होगा और मेरा भी हित होगा। हिन्दुस्तान का कल्याण होगा और सम्भव है कि मैं जल्दी से, जो उपवास चल रहा है उसे छोड़ सकूं। मेरी फिक्र किसीको नहीं करनी है। फिक्र अपने लिए की जाय। हम कहांतक आगे बढ़ रहे हैं और देश का कल्याण कहांतक हो सकता है, इसका ध्यान रक्खें। आखिर में सब इन्सानों

को मरना है। जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु से मुक्ति मिल नहीं सकती। ऐसी मृत्यु का भय क्या? शोक भी क्या करना? मैं समझता हूं कि सबके लिए मृत्यु एक आनन्ददायक मित्र है, हमेशा धन्यवाद के लायक है; क्योंकि मृत्यु से अनेक प्रकार के दुःखों में से हम एक समय तो निकल जाते हैं।

लिखित संदेश

कल शाम की प्रार्थना के दो घंटे बाद अखबार-वालों ने मुझे सन्देश भेजा कि उन्हें मेरे भाषण के बारे में कुछ बातें पूछनी हैं। वे मुझसे मिलना चाहते थे। मगर मैंने दिन-भर काम किया था, प्रार्थना के बाद भी काम में फंसा रहा। इसलिए थकान और कमजोरी के कारण उन्हें मिलने की मेरी इच्छा नहीं हुई। इसलिए मैंने प्यारेलाल से कहा कि उनसे कहो कि मुझे माफ करें और जो सवाल पूछने हों वे लिखकर कल सुबह नौ बजे बाद मुझे दे दें। उन्होंने ऐसा ही किया है।

पहला सवाल यह है, "आपने उपवास ऐसे वक्त शुरू किया है जब कि यूनियन के किसी हिस्से में कुछ झगड़ा हो ही नहीं रहा।"

लोग जबरदस्ती मुसलमानों के घरों का कब्जा लेने की बाकायदा, निश्चय-पूर्वक कोशिश करें, यह क्या झगड़ा नहीं कहा जायगा? यह झगड़ा तो यहांतक बढ़ा कि फौज को इच्छा न रहते हुए भी अश्रुगैस इस्तेमाल करनी पड़ी और भले ही हवा में हो, मगर कुछ गोलियां भी चलानी पड़ीं। तब कहीं लोग हटे। मेरे लिए यह सरासर

बेवकूफी होती कि मैं मुसलमानों का ऐसे टेढ़ी तरह से निकाला जाना आखिर तक देखता रहता। इसे मैं रुला-रुलाकर मारना कहता हूं।

दूसरा प्रश्न यह है, "आपने कहा कि मुसलमान भाई अपने डर की और अपनी असुरक्षितता की कहानी लेकर आपके पास आते हैं तो आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। उनकी शिकायत है कि सरदार, जिनके हाथों में गृह-विभाग है, मुसलमानों के खिलाफ हैं। आपने यह भी कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी हां-में-हां मिलाया करते थे, जी-हजूर कहलाते थे, मगर अब ऐसी हालत नहीं रही। इससे लोगों के मन पर यह असर होता है कि आप सरदार का हृदय पलटने के लिए उपवास कर रहे हैं। आपका उपवास गृह-विभाग की नीति की निन्दा करता है। अगर आप इस चीज को साफ करेंगे तो अच्छा होगा।"

मैं समझता हूं कि मैं इस बात का साफ-साफ जवाब दे चुका हूं। मैंने जो कहा है, उसका एक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ लगाया गया है, वह मेरी कल्पना में भी नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि ऐसा अर्थ किया जा सकता है तो मैं पहले से इस चीज को साफ कर देता।

कई मुसलमान दोस्तों ने शिकायत की थी कि सरदार का रुख मुसलमानों के खिलाफ है। मैंने कुछ दुःख से उनकी बात सुनी मगर कोई सफाई पेश नहीं की। उपवास शुरू होने के बाद मैंने अपने ऊपर जो रोकथाम लगाई हुई थी वह चली गई। इसलिए मैंने टीकाकारों

को कहा कि सरदार को मुझसे और पंडित नेहरू से अलग करके और मुझे और पंडित नेहरू को खामख्वाह आसमान पर चढ़ाकर वे गलती करते हैं। इससे उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। सरदार के बात करने के ढंग में एक तरह का अक्खड़पन है, जिससे कभी-कभी लोगों का दिल दुःख जाता है, अगरचे सरदार का इरादा किसीको दुःखी बनाने का नहीं होता। उनका दिल बहुत बड़ा है। उसमें सबके लिए जगह है। सो मैंने जो कहा है उसका मतलब यह था कि अपने जीवन-भर के वफादार साथी को एक बेजा इलजाम से बरी कर दूँ। मुझे यह भी डर था कि सुननेवाले यह न समझ बैठें कि मैं सरदार को अपना 'जी-हजूर' मानता हूं। सरदार को प्रेम से मेरा 'जी-हजूर' कहा जाता था। इसलिए मैंने सरदार की तारीफ करते समय कह दिया कि वे इतने शक्तिशाली और मन के मजबूत हैं कि वे किसी के 'जी-हजूर' हो ही नहीं सकते। जब वे मेरे 'जी-हजूर' कहलाते थे तब वे ऐसा कहने देते थे, क्योंकि जो कुछ मैं कहता था वह अपने आप उनके गले उतर जाता था। वह अपने क्षेत्र में बहुत बड़े थे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में उन्होंने शासन चलाने में बहुत काबलियत बताई थी। मगर वह इतने नम्र थे कि उन्होंने अपनी राजनैतिक तालीम मेरे नीचे शुरू की। उन्होंने उसका कारण मुझे बताया था कि जब मैं हिन्दुस्तान में आया था, उन दिनों जिस तरह का राजकाज हिन्दुस्तान में चलता था, उसमें हिस्सा लेने का उन्हें

मन नहीं होता था। मगर अब जब सत्ता उनके गले आ पड़ी तब उन्होंने देखा कि जिस अहिंसा को वह आजतक सफलतापूर्वक चला सके, अब नहीं चला सकते। मैंने कहा है कि मैं समझ गया हूं कि जिस चीज को मैं और मेरे साथी अहिंसा कहा करते थे वह सच्ची अहिंसा न थी। वह तो नकली चीज थी और उसका नाम निष्क्रिय प्रतिरोध है। हां, किनके हाथों में निष्क्रिय प्रतिरोध किसी काम की चीज है? जरा सोचिये तो सही कि एक कमजोर आदमी जनता का प्रतिनिधि बने तो वह अपने मालिकों की हँसी और बेइज्जती ही करवा सकता है। मैं जानता हूं कि सरदार कभी उन्हें सौंपी हुई जिम्मेदारी को दगा नहीं दे सकते। वह उसका पतन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सब सुनने के बाद कोई ऐसा ख़याल नहीं करेंगे कि मेरा उपवास गृह-विभाग की निन्दा करनेवाला है। अगर कोई ऐसा खयाल करनेवाला है तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि वह अपने आपको नीचे गिराता है और अपने आपको नुकसान पहुंचाता है, मुझे या सरदार को नहीं। मैं जोरदार लफ्जों में कह चुका हूं कि कोई बाहरी ताकत इन्सान को नीचे नहीं गिरा सकती। इन्सान को गिरानेवाला इन्सान खुद ही बन सकता है। मैं जानता हूं कि मेरे जवाब के साथ इस वाक्य का ताल्लुक नहीं है। मगर यह एक ऐसा सत्य है कि उसे हर मौके पर दोहराया जा सकता है।

मैं साफ लफ्जों में कह चुका हूं कि मेरा उपवास

यूनियन के मुसलमानों की खातिर है। इसलिए वह यूनियन के हिन्दू और सिखों और पाकिस्तान के मुसलमानों के विरुद्ध है। इस तरह से यह उपवास पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की खातिर भी है। जो विचार मैं पहले समझा चुका हूं उसीको मैं यहां थोड़े में दोहराने की कोशिश कर रहा हूं।

मैं यह आशा नहीं रख सकता कि मेरे जैसे अपूर्ण और कमजोर इंसान का उपवास दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों को सब तरह के खतरों से पूरी तरह बचाने की ताकत रखता है। उपवास सबकी आत्म-शुद्धि के लिए है। उसकी पवित्रता के बारे में किसी तरह का शक करना गलती होगी।

तीसरा सवाल यह है, "आपका उपवास ऐसे वक्त पर शुरू हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र-संघ की सुरक्षा-समिति बैठनेवाली है। साथ ही अभी ही करांची में फिसाद हुआ है और गुजरात (पंजाब) में कत्लेआम हुआ है। हम नहीं जानते कि विदेश के अखबारों में इन वाकयात की तरफ कहांतक ध्यान दिया गया है। इसमें शक नहीं कि आपके उपवास के सामने यह वाकयात छोटे लगने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के पिछले कारनामों से हम समझ सकते हैं कि वे जरूर इस चीज का फायदा उठायेंगे और दुनिया को कहेंगे कि गांधी अपने हिन्दू अनुयायियों से, जिन्होंने हिन्दुस्तान में मुसलमानों की जिन्दगी आफत में डाल रखी है, पागलपन छुड़ाने के लिए उपवास कर रहे हैं। सारी दुनिया-भर में सच्ची बात

पहुंचने में तो देर लगेगी। इस दरमियान आपके उपवास का यह नतीजा आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ पर हमारे विरुद्ध प्रभाव पड़े।"

इस सवाल का लम्बा-चौड़ा जवाब देने की जरूरत थी। दुनिया की हकूमतों और दुनिया के लोगों को जहांतक मैं जानता हूं, मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि उपवास का असर अच्छा ही हुआ है। बाहर के लोग, जो हिन्दुस्तान के वाकयात को निष्पक्षता से देख सकते हैं, मेरे उपवास का उल्टा अर्थ नहीं लगायेंगे। उपवास यूनियन के और पाकिस्तान के रहनेवालों से पागलपन को छुड़ाने के लिए है।

अगर पाकिस्तान में मुसलमानों की अकसरियत सीधी तरह से न चले, वहां के मर्द और औरतें शरीफ न बनें तो इस यूनियन के मुसलमानों को बचाया नहीं जा सकता। मगर मुझे खुशी है कि मृदुलाबेन के कल के सवाल पर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मुसलमानों की आंखें खुल गई हैं और वे अपना फर्ज समझने लगे हैं।

संयुक्त राष्ट्र-संघ यह जानता है कि मेरा उपवास उसे ठीक निर्णय करने में मदद देनेवाला है, ताकि वह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का उचित पथ-प्रदर्शन कर सके।

नई दिल्ली,
१५ जनवरी १६४८

: ५ :

चौथा दिन

[बिस्तर पर लेटे-लेटे दिया गया प्रवचन]

भाइयो और बहनो,

मुझे आशा तो नहीं थी कि आज भी मैं बोल सकूंगा ; लेकिन यह सुनकर आप खुश होंगे कि कल मेरी आवाज में जितनी शक्ति थी उससे आज मैं अधिक महसूस करता हूं। इसका मतलब तो यही किया जाय कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। चौथे रोज मुझमें, जब-जब मैंने उपवास किया है, तब इतनी शक्ति नहीं रहती है, लेकिन आज तो है। मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि अगर आप सब लोग आत्म-शुद्धि करने का यज्ञ करते रहेंगे तो बोलने की मेरी शक्ति आखिर तक रह सकती है। मैं इतना तो कहूंगा कि मुझे किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। जल्दी करने से हमारा काम नहीं बनता है। मैं परम शान्ति में हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई अधूरा काम करे और मुझे सुना दे कि ठीक हो गया है। सारा-का-सारा जब यहां ठीक होगा तो सारे हिन्दुस्तान में ठीक होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जब आसपास में, सारे हिन्दुस्तान में और सारे पाकिस्तान में, शांति नहीं हुई है तो मुझे जिन्दा रहने में दिलचस्पी नहीं है। यही इस यज्ञ के मानी हैं।

लिखित संदेश

किसी जिम्मेदार हुकूमत के लिए सोच-समझ कर किये हुए अपने किसी फैसले को बदलना आसान नहीं

होता; मगर तो भी हमारी हुकूमत ने, जो हर मानी में जिम्मेदार हुकूमत है, सोच-समझकर और तेजी से, अपना तय किया हुआ फैसला[1] बदल डाला है।

उनको काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और करांची से लेकर डिबरूगढ़ तक सारे मुल्क को मुबारकबाद देना चाहिए। मैं जानता हूं कि दुनिया के सब लोग भी कहेंगे कि ऐसा बड़ा काम हमारी हुकूमत के जैसी बड़े दिलवाली हुकूमत ही कर सकती थी। इसमें मुसलमानों को सन्तुष्ट करने की बात नहीं है। यह तो अपने आपको सन्तुष्ट करने की बात है। कोई भी हुकूमत, जो बहुत बड़ी जनता की प्रतिनिधि है, बेसमझ जनता से गालियां खाने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती है। जहां चारों तरफ़ पागलपन फैला हुआ है, वहां आकर बड़े-से-बड़े नेता बहादुरी से अपना दिमाग ठंडा रखकर जो जहाज वे चला रहे हैं क्या उसको डूबने से न बचावें ?

हमारी हुकूमत ने क्यों यह कदम उठाया ? इसका कारण मेरा उपवास था। उपवास से उनकी विचारधारा ही बदल गई। उपवास के बिना, कानून जितना उनसे कराता, उतना ही वे करनेवाले थे। मगर हिन्दुस्तान की हुकूमत का यह कदम सच्चे मानी में दोस्ती बढ़ाने और मिठास पैदा करनेवाली चीज है। इससे पाकिस्तान

---

[1] पचपन करोड़ रुपया, जो पाकिस्तान का निकलता था उसे काश्मीर का मामला तय हो जाने पर चुकाने का भारत सरकार ने निश्चय किया था। गांधीजी के उपवास प्रारम्भ करते ही भारत सरकार ने उसे दे देने का फैसला कर लिया। —संपादक

की भी परीक्षा हो जायगी। नतीजा यह होना चाहिए कि न सिर्फ काश्मीर का, बल्कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जितने मतभेद हैं सबका सम्मानजनक आपस-आपस में फैसला हो जावे, आज की दुश्मनी की जगह दोस्ती ले। न्याय कानून से बढ़ जाता है। अंग्रेजी में एक घरेलू कहावत है, जो सदियों से चलती आई है। उसमें कहा है कि जहां मामूली कानून काम नहीं देता, वहां न्याय हमारी मदद करता है। बहुत वक्त नहीं हुआ जब कानून के लिए और न्याय के लिए वहां अलग-अलग कचहरियां हुआ करती थीं। इस तरह से देखा जाय तो इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान की हुकूमत ने जो किया है, वह सब तरह से ठीक है। अगर मिसाल की जरूरत है तो मैकडानल्ड-एवार्ड (निर्णय) हमारे सामने है। वह सिर्फ मैकडानल्ड का निर्णय न था, बल्कि सारे ब्रिटिश मंत्रि-मंडल का और दूसरी गोलमेज परिषद् के अधिकतर सदस्यों का भी निर्णय था। मगर यरवदा के उपवास ने तो रातों-रात वह निर्णय बदल दिया।

मुझे कहा गया कि यूनियन की हुकूमत के इस बड़े काम के कारण तो अब मैं अपने उपवास को छोड़ दूं। काश कि मैं अपने दिल को ऐसा करने के लिए समझा सकता!

मैं जानता हूं कि उन डाक्टर लोगों की चिंता, जो अपनी इच्छा से काफी त्याग करके मेरी देख-भाल कर रहे हैं, जैसे-जैसे उपवास लम्बा होता जाता है, बढ़ती जाती है। गुरदे ठीक तरह से काम नहीं करते। उन्हें इस चीज़

का इतना खतरा नहीं कि आज मर जाऊंगा; मगर उपवास लम्बा चला तो हमेशा के लिए शरीर की मशीन को जो नुकसान पहुंचेगा, उससे वे डरते हैं। मगर डाक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों न हों, मैंने उनकी सलाह से उपवास शुरू नहीं किया। मेरा रहनुमा और मेरा हकीम एकमात्र ईश्वर रहा है, वह कभी गलती नहीं करता। वह सर्व-शक्तिमान है। अगर उसे मेरे इस कमजोर शरीर से कुछ और काम लेना होगा, तो डाक्टर लोग कुछ भी कहें, वह मुझे बचा लेगा। मैं ईश्वर के हाथों में हूं। इस लिए मैं आशा करता हूं कि आप विश्वास रखेंगे कि मुझे न मौत का डर है, न अपंग होकर जिन्दा रहने का। मगर मुझे लगता है कि अगर देश को मेरा कुछ भी उपयोग है तो डाक्टरों की इस चेतावनी के परिणामस्वरूप लोगों को तेजी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इतनी मेहनत से आजादी पाने से बाद हमें बहादुर तो होना ही चाहिए। बहादुर लोग, जिन पर दुश्मनी का शक होता है, उनपर भी विश्वास रखते हैं। बहादुर लोग अविश्वास को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अगर दिल्ली के हिन्दू, मुसलमान और सिखों में ऐसी एकता स्थापित हो जाय कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में आग भड़के तो भी दिल्ली शान्त रहे, तब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी। खुशकिस्मती से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग अपने आप समझ गये लगते हैं कि उपवास का अच्छे-से-अच्छा जवाब यही है कि दोनों उपनिवेशों में ऐसी दोस्ती पैदा हो कि हर धर्म के लोग

दोनों तरफ बिना किसी खतरे के आ-जा सकें और रह सकें। आत्म-शुद्धि के लिए इतना तो कम-से-कम होना ही चाहिए।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लिए दिल्ली पर बहुत ज्यादा बोझ डालना ठीक न होगा। यूनियन के रहनेवाले भी आखिर तो इन्सान हैं ! हमारी हुकूमत ने लोगों के नाम से एक बहुत बड़ा उदार कदम उठाया है और उसको उठाते समय उसकी कीमत का खयाल तक नहीं किया। इसका जवाब पाकिस्तान क्या देगा ? इरादा हो तो रास्ते तो बहुत हैं; मगर क्या इरादा है ?

नई दिल्ली,

१६ जनवरी, १९४८

: ६ :

पांचवां दिन

[बिस्तर पर लेटे-लेटे दिया गया प्रवचन]

भाइयो और बहनो,

ईश्वर की ही कृपा है कि आज पांचवां दिन है, तो भी मैं बगैर परिश्रम के आपको दो शब्द कह सकता हूं। जो मुझको कहना है वह तो मैंने लिखवा दिया है, जिसे प्रार्थना-सभा में सुशीलाबहन सुना देगी।

इतना है कि जो कुछ भी आप करें, उसमें परिपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। अगर यह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा खयाल रखें कि इसे कैसे जिन्दा रखा जाय, तो बड़ी भारी गलती करनेवाले हैं। मुझको जिन्दा

रखना या मारना किसीके हाथ में नहीं है। वह ईश्वर के हाथ में है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। किसीको भी शक नहीं होना चाहिए।

इस उपवास का मतलब यह है कि अंतःकरण स्वच्छ हो और जाग्रत हो। ऐसा करें तभी सबकी भलाई है। मुझ पर दया कर आप कुछ न कीजिये। जितने। दिन उपवास के काट सकता हूं, काटूंगा। ईश्वर की इच्छा होगी तो मर जाऊंगा।

मैं जानता हूं कि मेरे काफी मित्र दुखी हैं और सब कहते हैं कि आज ही उपवास क्यों नहीं छोड़ा जाय। आज मेरे पास ऐसा सामान नहीं है। ऐसा मिल जाय तो नहीं छोड़ने का आग्रह नहीं करूंगा। अहिंसा का नियम है कि मर्यादा पर कायम रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए,। नम्र होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसमें अभिमान नहीं है। शुद्ध प्यार से कह रहा हूं। ऐसा जो जानता है वही रहनेवाला है।

लिखित संदेश

मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से दोहराता हूं कि उपवास के दबाव से कुछ भी न किया जाय। मैंने देखा है कि उपवास के दबाव से कई बातें कर ली जाती हैं और उपवास खत्म होने के बाद मिट जाती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बुरी बात होगी। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। आध्यात्मिक उपवास एक ही आशा रखता है, वह है दिल की सफाई। अगर दिल की सफाई ईमानदारी से की जाय तो जिस कारण से सफाई की गई थी

वह कारण मिट जाने पर भी सफाई नहीं मिटती। प्रियजन के आने के कारण कमरे में सफेदी की जाती है तो जब वह आकर चला जाता है तो सफेदी मिट नहीं जाती। यह तो वह जड़ वस्तु की बात है। कुछ अर्से के बाद सफेदी मिटने लगती है और फिर से करवानी पड़ती है। दिल की सफाई तो एक दफा हो गई तो मरने तक कायम रहती है। उपवास का दूसरा कोई योग्य मकसद नहीं हो सकता।

राजा, महाराजा और आम लोगों के तारों का ढेर बढ़ रहा है। पाकिस्तान से भी तार आ रहे हैं। वे अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान के दोस्त और शुभचिंतक की हैसियत से मैं पाकिस्तान के रहनेवालों, और जिनको पाकिस्तान का भविष्य बनाना है उनको, कहना चाहता हूं कि अगर उनका आत्मा जाग्रत न हुआ और अगर वह पाकिस्तान के गुनाह को कबूल नहीं करते तो पाकिस्तान को कभी कायम नहीं रख सकेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि मैं यह नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के दोनों टुकड़े अपनी खुशी से फिर से एक हों। मगर मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जबरदस्ती से मिटाने का मुझे खयाल तक नहीं आ सकता। मैं उम्मीद रखता हूं कि मृत्यु-शैया पर पड़े मेरे ये वचन किसीको चुभेंगे नहीं। मैं उम्मीद रखता हूं कि सब पाकिस्तानी यह समझ जायंगे कि अगर कमजोरी की वजह से या उनका दिल दुखाने के डर से मैं उनके सामने अपने दिल की सच्ची बात न रखूं तो मैं अपने और उनके प्रति झूठा साबित

होऊंगा। अगर मेरे हिसाब में कुछ गलती रही हो तो मुझे बताना चाहिए। मैं वायदा करता हूं कि अगर मैं गलती समझ गया तो अपना वचन वापस ले लूंगा। मगर जहांतक मैं जानता हूं, पाकिस्तान के गुनाह के बारे में दो विचार हो ही नहीं सकते।

मेरे उपवास को किसी तरह से भी राजनैतिक न समझा जाय। यह तो अन्तरात्मा की जबरदस्त आवाज के जवाब में धर्म समझकर किया गया है। महा यातना भुगतने के बाद मैंने उपवास करने का फैसला किया। दिल्ली के मुसलमान भाई इस बात के साक्षी हैं। उनके प्रतिनिधि करीब-करीब रोज मुझे दिन-भर की रिपोर्ट देने आते हैं। इस पवित्र मौके पर मेरा उपवास छुड़वाने के हेतु मुझको धोखा देकर, राजा-महाराजा, हिन्दू-सिख और दूसरे लोग न अपनी खिदमत करेंगे, न हिन्दुस्तान की। वे सब समझ लें कि मैं कभी इतना खुश नहीं रहता, जितना कि आत्मा की खातिर उपवास करते वक्त। इस उपवास से मुझे हमेशा से ज्यादा खुशी हासिल हुई है। किसीको इसमें विघ्न डालने की जरूरत नहीं है। विघ्न इसी शर्त पर डाला जा सकता है कि ईमानदारी से आप यह कह सकें कि आपने सोच-समझकर शैतान की तरफ से मुंह फेर लिया है और ईश्वर की तरफ चल पड़े हैं।

१७ जनवरी
१९४८ नई दिल्ली,

: ७ :

उपवास की समाप्ति

[विस्तर पर लेटे-लेटे दिया गया प्रवचन]

भाइयो और वहनो,

मैंने थोड़ा तो लिखवा दिया है। वह सुशीलाबहन आप लोगों को सुना देगी।

आज का दिन मेरे लिए तो है, आपके लिए भी मंगल-दिन माना जाय। कैसा अच्छा है कि आज गुरु गोविन्द सिंह को जन्म-तिथि है। उसी शुभ तिथि पर मैं आप लोगों की दया से उपवास छोड़ सका हूं। जो दया आप लोगों से—दिल्ली के निवासियों से दिल्ली में जो दुःखी शरणार्थी पड़े हैं, उनसे, यहां की हुकूमत के सब कारोबार से—मुझे मिली है, उसे, मुझे लगता है, कि मैं जिन्दगी भर भूल नहीं सकूंगा। कलकत्ते में ऐसे ही प्रेम का अनुभव मैंने किया। यहां पर मैं कैसे भूल सकता हूं कि शहीदसाहब ने कलकत्ते में बड़ा काम किया। अगर वह नहीं करते तो मैं ठहरनेवाला नहीं था। शहीदसाहब के लिए हम लोगों के दिल में बहुत शकूक थे। अभी भी हैं। उससे हमको क्या? आज हम सीखें कि कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उससे हमको दोस्ताना तौर से काम कराना है। हम किसीके साथ किसी हालत में दुश्मनी नहीं करेंगे; दोस्ती ही करेंगे। शहीदसाहब और दूसरे चार करोड़ मुसलमान पड़े हैं। वे सब-के-सब फरिश्ते तो हैं ही नहीं। ऐसे ही सब हिन्दू और सिख भी थोड़े ही फरिश्ते हैं। अच्छे और

बुरे हममें हैं, लेकिन बुरे कम हैं। हमारे यहां जिनको हम जरायमपेशा जातियां कहते हैं, वे भी पड़ी हैं। हमारे यहां जिनको जंगली जातियां कहते हैं, वे भी पड़ी हैं। उन सबके साथ मिल-जुलकर रहना है।

मुसलमान बड़ी कौम है, छोटी कौम नहीं है। यहीं नहीं है, सारी दुनिया में पड़ी है। अगर हम ऐसी उम्मीद करें कि सारी दुनिया के साथ हम मित्र-भाव से रहेंगे, दोस्ताना तौर से रहेंगे तो क्या वजह है कि हम यहां के जो मुसलमान हैं उनसे दुश्मनी रखें ?

मैं भविष्य-वेत्ता नहीं हूं। फिर भी मुझे ईश्वर ने अक़ल दी है, दिल दिया है। उनको टटोलता हूं और आपको भविष्य सुनाता हूं कि अगर हम किसी-न-किसी कारण से एक-दूसरे से दोस्ती न कर सके, वह भी यहां के ही नहीं, पाकिस्तान के और सारी दुनिया के मुसलमानों से दोस्ती न कर सके तो समझ लें, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हिन्दुस्तान हमारा नहीं होगा, पराया हो जायगा, गुलाम हो जायगा। पाकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो आजादी हमने पाई है उसे हम खो बैठेंगे।

आज इतने लोगों ने आशीर्वाद दिये हैं। सुनाया है कि हम सब हिन्दू, सिख, मुसलमान भाई-भाई बनकर रहेंगे और किसी भी हालत में, कोई भी कुछ कहे, दिल्ली के हिन्दू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई यहां के सब बाशिन्दे और शरणार्थी भी दुश्मनी नहीं करनेवाले हैं। यह थोड़ी बात नहीं है। अर्थात् अब से हमारी कोशिश यह रहेगी कि सारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जितने लोग पड़े हैं वे

सब एक मिलकर रहेंगे। हमारी कमजोरी के कारण भले ही हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हो गये, लेकिन वे भी दिल से मिलाने हैं। अगर इस उपवास के छूटने का यह अर्थ नहीं है तो बड़ी नम्रता से कहूंगा कि यह उपवास छुड़वाकर आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है, अब उपवास की आत्मा का भलीभांति पालन होना चाहिए। भेद क्यों हो ? जो दिल्ली में हो, वही सारे यूनियन में हो और जो सारे यूनियन में होगा तो पाकिस्तान में होना ही है, इसमें आप शक न रखें। आप न डरें, एक बच्चे को भी डरने का काम नहीं। आजतक हम, मेरी निगाह में, शैतान की ओर जाते थे। आज से मैं उम्मीद करता हूं कि हम ईश्वर की ओर जाना शुरू करते हैं। लेकिन हम तय करें कि एक वक्त हमने अपना चेहरा, मुंह, ईश्वर की ओर रखा तो वहां से कभी नहीं हटेंगे। ऐसा हुआ तो सारे हिन्दुस्तान, पाकिस्तान दोनों मिलकर इस सारी दुनिया को ढांक सकेंगे, सारी दुनिया की सेवा कर सकेंगे और सारी दुनिया को ऊंची ले जा सकेंगे। मैं और किसी कारणसे जिंदा रहना नहीं चाहता हूं। इन्सान जिंदा रहता है तो इन्सानियत को ऊंचा उठाने के लिए। ईश्वर और खुदा की तरफ जाना ही इन्सान का फर्ज है। जबान से ईश्वर, खुदा, सतश्री अकाल कुछ भी नाम लो, वह सब झूठा है; अगर उनके दिल में वह नाम नहीं है। सब एक ही हस्ती है, तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम उस चीज को भूल जायं और एक-दूसरे को दुश्मन मानें।

आज तो मैं आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाला नहीं हूं,

लेकिन आज के दिन से हिन्दू निर्णय करलें कि लड़ेंगे नहीं । मैं चाहूंगा कि हिन्दू कुरान पढ़ें, जैसे कि भगवत्गीता पढ़ते हैं। सिख भी वही करें। और मैं चाहूंगा कि मुस्लिम भाई-बहन भी अपने घरों में ग्रंथसाहब पढ़ें, उनके माने समझें। जैसे हम अपने धर्म को मानते हैं, वैसे दूसरे के धर्म को भी मानें। उर्दू-फारसी किसी जबान में भी बात लिखी हो अच्छी बात तो अच्छी बात है। जैसे कुरान शरीफ वैसे गीता और ग्रंथसाहब हैं। मेरा मकसद यही है, चाहे आप मानें या न मानें अभी तक मैं ऐसा करता रहा हूं। मैं आपको कहूंगा और दावे से कहूंगा कि मैं पत्थर की पूजा नहीं करता हूं। मगर मैं सनातनी हिन्दू हूं। पत्थर की पूजा करनेवालों से मैं नफरत नहीं करता। खुदा पत्थर में भी पड़ा है। जो पत्थर की पूजा करता है वह उसमें पत्थर नहीं, खुदा देखता है। पत्थर में ईश्वर न मानें तो कुरान शरीफ खुदाई किताब है, यह क्यों माना जायगा ? तो यह क्या बुतपरस्ती नहीं है ? दिलों में भेद न रखें तो हम सब यह सीख सकते हैं। ऐसा हो तो फिर यह नहीं होगा कि यह हिन्दू है, यह सिख है यह मुसलमान है। सब भाई-भाई हैं, मिल-जुलकर रहनेवाले हैं ऐसा होना चाहिए। फिर ट्रेन में आज जो अनेक किस्म की परेशानी होती है—लड़का फेंक दिया जाता है, आदमी फेंक दिया जाता है, औरतें फेंक दी जाती हैं, वह सब मिट जायगा, हर कोई आसानी से हर जगह रह सकेंगे, कहीं किसीको डर न होगा। यूनियन ऐसा बने ! पाकिस्तान भी ऐसा होना चाहिए ! मुझको तबतक परम शान्ति नहीं होनेवाली है

जबतक यहां के शरणार्थी, जो पाकिस्तान से दुखी होकर आये हैं, अपने घरों को वापस न जा सकें और जो मुसलमान यहां से डर से, मार-पीट से, भागे हैं और जो वापस आना चाहते हैं, वे आराम से यहां न रह सकें।

ईश्वर हम सबको, सारी दुनिया को अच्छी अक्ल दे, सन्मति दे, होशियार करे और अपनी ओर खींच ले, जिससे हिन्दुस्तान और सारी दुनिया सुखी हो।

(लिखित संदेश)

मैंने यह उपवास सत्य के नाम पर, जिसका परिचित नाम ईश्वर है, किया था। जीते-जागते सत्य के बिना ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर के नाम पर हम झूठ बोले हैं, हमने बेरहमी से लोगों की हत्याएं की हैं और इसकी भी परवा नहीं की कि वे अपराधी हैं या निर्दोष; मर्द हैं या औरतें; बच्चे हैं या बूढ़े ! हमने अपहरण व बलात् धर्म-परिवर्तन किये हैं और हमने यह सब बेहयाई से किया है। मैं नहीं समझता कि किसी ने ये काम सत्य के नाम पर किये हों। इसी नाम का उच्चारण करते हुए मैंने उपवास तोड़ा है। हमारे लोगों का दुख असह्य था। राष्ट्रपति राजेन्द्र-बाबू हिन्दुओं, मुसलमानों व सिखों, हिन्दू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व शरणार्थियों के सौ से अधिक प्रतिनिधियों को लेकर मेरे पास आये। इन प्रतिनिधियों के दल में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जाहिदहुसैन साहब, दिल्ली के कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर और आजाद हिन्द फौज के जनरल शाहनवाज भी शामिल थे। नेहरूजी भी एक मूर्ति की तरह चुपचाप मेरे पास बैठे हुए थे। और ऐसे

ही मौलाना आजाद। राजेन्द्रबाबू ने एक दस्तावेज[1] पढ़कर सुनाया, जिसपर आगत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे। इस दस्तावेज द्वारा मुझसे कहा गया कि उनपर अधिक चिंता का दबाव न डाला जाय और मैं अपना उपवास तोड़कर उनके दुख का अन्त कर दूं। पाकिस्तान व भारतीय यूनियन से भी मेरे पास तार-पर-तार आये थे कि मैं उपवास तोड़ दूं। मैं इन सब मित्रों की सलाह का विरोध न कर सका। मैं उनकी इस प्रतिज्ञा पर अविश्वास नहीं कर सका कि हर हालत में हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों या पारसियों व यहूदियों सबमें मित्रता रहेगी और इस मित्रता को कभी भंग नहीं किया जायगा। इस दोस्ती को तोड़ने का मतलब राष्ट्र को तोड़ना होगा।

जब मैं यह लिख रहा हूं, मेरे पास सेहत और दीर्घ जीवन की कामनावाले तारों का तांता लगा हुआ है। ईश्वर मुझे काफी सेहत और विवेक दें जिससे मैं मानव-जाति की सेवा कर सकूं। यदि यह आश्वासन, जो आज मुझे दिया गया है, पूरा हो जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं चौगुनी शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि मुझे अपनी पूरी जिन्दगी जीने दे और मैं अन्त तक मानव-जाति की सेवा करूं। विद्वानों का मत है कि पूरी उम्र कम-से-कम १२५ वर्ष है और कुछ लोग १३३ वर्ष कहते हैं। मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने में जितना समय लगने की आशा थी वह दिल्ली के नागरिकों की, जिनमें हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी

[1] देखिए परिशिष्ट २

सम्मिलित हैं, सद्भावना के कारण उससे पहले पूरी हो गई। मुझे पता चला है कि कल से हजारों शरणार्थी और दूसरे लोग भी मेरी सहानुभूति में उपवास कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में इसका परिणाम दूसरा निकल ही नहीं सकता था। हजारों व्यक्तियों ने मेरे पास लिखित आश्वासन भेजे हैं कि लोगों के दिलों में परिवर्तन हो गया है और वे सबको भाई मानते हैं। सारी दुनिया से मेरे पास आशीर्वाद के तार आये हैं। क्या इस बात का इससे अच्छा कोई सबूत हो सकता है कि मेरे इस उपवास में ईश्वर का हाथ था ? लेकिन मेरी प्रतिज्ञा के शब्दों के पालन के बाद उसकी आत्मा भी है, जिसके पालन के बिना शब्दों का पालन बेकार हो जाता है। मेरी प्रतिज्ञा का उद्देश्य यूनियन तथा पाकिस्तान में हिन्दू, मुस्लिम, सिख में मित्रता स्थापित करना है। यदि यूनियन (हिन्दुस्तान) में ऐसा हो जाता है तो जैसे रात के बाद दिन होता है वैसे ही पाकिस्तान में भी ऐसा होना ही चाहिए। यदि यूनियन में अंधेरा हो तो पाकिस्तान में उजाले की आशा रखनी मूर्खता है; किन्तु यदि यूनियन में रात मिट जाने का कोई शक नहीं रह जाता है तो पाकिस्तान में भी रात मिटकर ही रहेगी। पाकिस्तान से बहुत से संदेश आये हैं। उनमें से एक में भी इस बात का विरोध नहीं किया गया है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह इन छः दिनों तक हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उसी तरह आगे भी हमारा पथ-प्रदर्शन करता रहे।

१८ जनवरी, १९४८ नई दिल्ली

परिशिष्ट

: १ :

उपवास की पारणा

(प्यारेलाल)

आज जब गांधीजी ने दिन के १२ बजकर ४५ मिनट पर गंभीरता और पवित्रता के साथ बिड़ला-भवन, नई दिल्ली में अपना उपवास छोड़ा तो सारे दिल्ली शहर और सारे देश की बड़ी भारी चिन्ता और वेदना दूर हुई। इसके पहले दिन शहर के महत्त्वपूर्ण दलों और संस्थाओं के प्रतिनिधि, जिनमें शरणार्थियों और शहर के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे हुए तीन हिस्सों—करौल बाग, सब्जीमंडी और पहाड़गंज—के प्रतिनिधि भी शामिल थे, डा० राजेन्द्रबाबू की सदारत में उन्हींके बंगले पर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सात मुद्दोंवाले एक प्रतिज्ञा-पत्र पर अपने दस्तखत किये, जिनमें गांधीजी द्वारा रखी गई उपवास छोड़ने की शर्तें पूरी करने का वचन दिया गया था। दस्तावेज का मसविदा गांधीजी के खास आग्रह से फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखा गया था। सभा में मौलाना आज़ाद साहब और मेजर जनरल शाहनवाज भी मौजूद थे। दिल्ली के मुसलमानों के तीन प्रतिनिधि मौलाना हिफ़जुर्रहमान, जमीयतुल उलेमा के मौ० अहमद सईद और मौलाना हबीबुर्रहमान थे। गोस्वामी श्री गणेशदत्त, बसन्तलाल और श्री नारायणदास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिन्दू-महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अलग-अलग सिक्ख-संस्थाओं के प्रतिनिधि भी थे। इसके बाद वे सब (उनकी तादाद १०० से ऊपर थी) बिड़ला-भवन गये और वहां गांधीजी के कमरे में उनसे उपवास छोड़ने की प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए। मौलाना साहब और पंडित जवाहरलालजी वहां पहले

ही आ चुके थे। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जनाव ज़ाहिदहुसेन साहव कुछ देर वाद आये।

डा० राजेन्द्रप्रसाद ने मीटिंग की कार्रवाई शुरू करते हुए गांधीजी से कहा कि पिछली रात को सव लोग मेरे घर पर इकट्ठे हुए थे और पूरी चर्चा के वाद सवने तय किया कि उसी वक्त और वहीं प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्त-खत कर दिये जायं। मगर चूंकि कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि उस वैठक में हाजिर नहीं थे, इसलिए हमने महसूस किया कि दस्तखत किया हुआ प्रतिज्ञा-पत्र लेकर आपके पास तुरन्त न पहुंचा जाय, वल्कि ज़वतक वाकी के दस्तखत न हो जायं तवतक रुका जाय। इसके मुताविक सवेरे फिर हमारी वैठक हुई और पिछली रात की वैठक में जो लोग गैरहाजिर थे, उन्होंने भी इस वैठक में शामिल होकर अपने दस्तखत कर दिये। सवेरे की वैठक के दौरान में देखा गया कि पिछली रात को जिन लोगों के दिल में थोड़ी हिचकिचाहट थी, वे भी पूरे आत्म-विश्वास के साथ कहते थे कि हम पूरी जिम्मेदारी की भावना से गांधीजी से उपवास छोड़ने के लिए कह सकते हैं। उन लोगों ने एक साथ और अलग-अलग जो गारण्टी दी, उसे ध्यान में रखकर मैंने कांग्रेस के सभापति के नाते उस मसविदे पर दस्तखत किये। उसके वाद दिल्ली के चीफ कमिश्नर मि० खुर्शीद और डिप्टी कमिश्नर श्री रन्धावा ने, जो वहां हाज़िर थे, शासन की तरफ से उसपर दस्तखत किये। यह तय किया गया है कि इस प्रतिज्ञा पर अमल करने के लिए कुछ कमेटियां कायम की जायं। मुझे उम्मीद है कि अव आप अपना उपवास छोड़ देंगे।

राजेन्द्रवावू के वाद श्री देशबन्धु गुप्ता ने सवेरे सब्जीमंडी में करीव डेढ़ सौ मुसलमानों का एक जुलूस निकलते वक्त हिन्दुओं और मुसलमानों के भाईचारे के दिल को छूनेवाले जो दृश्य देखे, उनका वयान किया। उस मुहल्ले के हिन्दुओं ने वड़े उत्साह से जुलूस का स्वागत किया और जुलूस-वालों को फल और नाश्ते की चीजें भेंट कीं।

राजेन्द्रवावू और दूसरों की उपवास छोड़ने की प्रार्थना सुनकर गांधीजी ने कहा, "यह सव मुझे अच्छा तो लगता है, मगर एक वात अगर

आपके दिल में नहीं तो यह निकम्मा समझिये। इस मसविदे का अगर यह मतलब है कि दिल्ली को तो आप सुरक्षित रखेंगे और बाहर चाहे कितनी भी आग जले, उसकी आपको परवा न होगी, तो आप बड़ी गलती करेंगे और मैं उपवास छोड़कर मूर्ख बनूंगा। इलाहाबाद में क्या हुआ, सो तो आपने अखबारों में देखा ही होगा। नहीं देखा हो तो देखिये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिन्दू-महासभा भी इस समझौते में शामिल हैं, ऐसा मैं समझा हूं। अगर यहां के लिए वे इस समझौते में शामिल हैं और दूसरी जगह के लिए नहीं तो वह बड़ी दग़ा होगी। ईश्वर को और मुझे धोखा देना होगा। मैं देखता हूं कि ऐसी दग़ा आज हिन्दुस्तान में बहुत चलती है।

"दिल्ली तो हिन्दुस्तान का दिल है, राजधानी है। यहां हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं। मनुष्य जानवर बने, मगर यहां पर जो हैं, वे दूध की मलाई के जैसे हैं। वे सब अगर सारे हिन्दुस्तान को इतना भी न समझा सकें कि हिन्दू, मुसलमान और दूसरे सब धर्मों के लोग भाई-भाई हैं तो यह दोनों उपनिवेशों के भविष्य के लिए बुरा होगा। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो हिन्दुस्तान का क्या होगा?" इतना कहते-कहते गांधीजी का गला आंसुओं से रुंध गया। उन्होंने जो कुछ कहा, उसे मैंने और कुछ डा० सुशीला ने ज़ोर से दोहराया।

एक-दो मिनट के बाद वे फिर बोले, "मैं घबराहट में पड़ गया, सो अपनी बात पूरी न कर सका। हम ऐसा कोई काम न करें, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़े। हमें आला दरजे की बहादुरी बताना है। हम यह कर सकेंगे या नहीं, सो तो देखना है। अगर नहीं कर सकते तो मुझे उपवास छोड़ने को न कहिये। आपको और सारे हिन्दुस्तान को यह काम करना है। इसका यह मतलब नहीं कि आज-का-आज वह हो जायगा। मुझमें वह ताकत नहीं। मगर इतना कहूंगा कि आजतक हमारा रुख शैतान की तरफ रहा, अब भगवान की तरफ रहेगा। अगर, जो बात मैंने आपके सामने रखी है, उसे आप दिल से मंजूर नहीं करते या आपने मान लिया है कि वह

आपके काबू के बाहर है तो आपको साफ-साफ मुझे यह बात कह देनी चाहिए।

"यह कहना कि हिन्दुस्तान सिर्फ हिन्दुओं के लिए ही है और पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए है, इससे बड़ा कुफ़्र क्या हो सकता है? शरणार्थी यह समझें कि पाकिस्तान का उद्धार भी दिल्ली के ही मार्फत होगा।

"मैं उपवास से डरनेवाला आदमी नहीं हूं। मैंने बहुत बार उपवास किया है और जरूरत हुई तो फिर भी कर सकता हूं। इसलिए आप जो भी करें, बराबर सोच-समझ कर करें।

"जो मुसलमान भाई हमेशा मेरे पास आते हैं और बातें करते हैं कि अब दिल्ली ठीक हो गया है और हिन्दू-मुसलमान साथ रह सकेंगे, उनके दिल में अगर कुछ भी वलवला है, मन में ऐसा लगे कि आज तो मजबूरन साथ रहना है—न रहें तो जावें कहां—लेकिन आखिर तो कभी-न-कभी अलग होंगे ही, तो उन्हें यह बात मुझे साफ-साफ कह देनी चाहिए।

"सारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को ठीक करना बड़ी मुश्किल बात है, मगर मैं तो बड़ी उम्मीद रखनेवाला इन्सान हूं। सोचता हूं, एक बात ठान ली तो वह क्यों न हो सके? हिन्दुओं और मुसलमानों का समझौता आज आप करते हैं, मगर हिन्दू मानें कि मुसलमान तो यवन हैं, असुर हैं, ईश्वर को पहचान ही नहीं सकते और मुसलमान हिन्दुओं के बारे में ऐसा मानें, तो इससे बढ़कर कुफ़्र नहीं।

"पटने में मुझे एक मुसलमान बड़े प्रेम से एक किताब दे गया था। लिखनेवाला बड़ा मुसलमान है। उस किताब में लिखा है, "ख़ुदा फरमाता है कि एक काफिर—और हिन्दू काफिर है—एक ज़हरी जानवर से भी बदतर है। उसे मार सकते हैं, उसे धोखा देना फर्ज है, उसके साथ शराफत क्या करना!" यह चीज अगर मुसलमानों के दिल में छुपी-छुपी भी पड़ी है तो यह कहना कि हम अच्छे रहेंगे, हिन्दुओं के साथ धोखेबाजी है। एक को धोखा दिया तो सबको दिया।

"मैं अगर सच्चे दिल से पत्थर की पूजा करता हूं तो उसमें किसीको धोखा नहीं देता। मेरे लिए उस पत्थर में भगवान है। मैं अपने दिल को धोखा दे सकता हूं। मगर उससे मुझे कौन बचा सकता है? उसमें किसी और को नुकसान नहीं पहुंच सकता।

"मैंने अपने दिल को बहुत टटोला। मैं व्यर्थ में उपवास नहीं कर रहा। मैंने सोचा, अगर दोनों के दिल में कुफ़्र ही भरा है तो मैं जीकर क्या करूंगा?

"आज जो तार आये हैं, उनमें बड़े-बड़े मुसलमानों के भी तार हैं। उनसे मुझे खुशी होती है। ऐसा लगता है कि वे भी समझ गये हैं कि राज चलाने का यह तरीका नहीं।

"यह सब सुनकर भी आप मुझे उपवास छोड़ने को कहेंगे तो मैं छोड़ूंगा। फिर आप मुझे रिहाई दे देंगे। आजतक तो दिल्ली में ही रहकर करने-मरने की बात थी। यहां अगर काम हो गया है तो मैं पाकिस्तान में चला जाऊंगा। और वहां के मुसलमानों को समझाऊंगा। दूसरी जगह कुछ भी हो, यहां लोग शान्त रहें। यहां के शरणार्थी समझ लें कि अगर पाकिस्तान से दिल्ली के कोई लोग वापस आते हैं तो उन्हें अपने भाई समझकर रखना है। वहां वे परेशान पड़े हैं। यहां हिन्दू परेशान पड़े हैं। मुसलमान जो काम करते थे, वह सब हिन्दू सीख नहीं गये हैं। तो अच्छा है वे आ जावें। भले-बुरे सबमें हैं। यह सब सोच-समझकर आप सब मुझे कहें कि उपवास छोड़, तो मैं छोड़ूंगा। मगर हिन्दुस्तान ऐसा-का-ऐसा ही रहे तो यह खेल-सा हो जायगा। उससे बेहतर है कि मुझे आप उपवास करने दें और पीछे ईश्वर को उठाना होगा तो मुझे उठा लेगा।"

इसके बाद मौलाना अबुलकलाम आज़ाद से दो शब्द बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि जहांतक साम्प्रदायिक शान्ति की गारण्टी का ताल्लुक है, वह दिल्ली के शहरियों के प्रतिनिधियों द्वारा ही दी जा सकती है। फिर भी मैं मुसलमान दोस्तों की उस राय को चुनौती दिये बिना नहीं रह सकता, जिसका गांधीजी ने जिक्र किया है; क्योंकि

वह इस्लाम के उपदेशों से संबंध रखती है। यह कहते हुए मुझे किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती कि वह इस्लाम के नाम पर कलंक है, इस्लाम को बदनाम करनेवाली है। कुरान में एक ऐसी आयत है जिसका मतलब है कि सारे इन्सान भाई-भाई हैं, भले ही वे किसी भी जात या मज़हब के हों। गांधीजी ने मुसलमान दोस्तों के जिन विचारों का जिक्र किया है, वे इस्लाम की सीख के बिल्कुल खिलाफ हैं। वे सिर्फ उस पागलपन को ज़ाहिर करते हैं, जो थोड़े समय पहले कुछ वर्ग के लोगोंपर सवार था।

इसके बाद मौलाना हिफज़ुर्रहमान बोले। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह इलज़ाम बिल्कुल गलत है कि मेरे धर्म-भाई हिन्दुस्तान को अपना मुल्क नहीं मानते, जो उनकी पूरी-पूरी वफादारी का हकदार है, बल्कि उसे सिर्फ ऐसी जगह समझते हैं, जिसमें जरूरत और हालतों के दबाव के कारण उन्हें मजबूरन रहना पड़ता है। हमारी तीस साल की राष्ट्र-सेवा का अटूट रेकार्ड इस इलज़ाम को झूठ साबित करता है। जब हमसे हिन्दुस्तान की तरफ अपनी वफादारी को दोहराने के लिए कहा जाता है तो हम इसे अपनी राष्ट्रीयता का अपमान समझते हैं। मुझे याद है कि हाल के दंगों में एक मौके पर हमारे कांग्रेसी दोस्तों और साथियों ने हमें दिल्ली के बाहर एक सुरक्षित जगह देने की बात कही थी, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि वे हमें अच्छी तरह दंगाइयों से बचा सकेंगे। लेकिन हमने उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और भगवान पर भरोसा रखकर शहर में रहना और घूमना पसन्द किया। जहांतक जमीयतुल-उलेमा का संबंध है, मैं कह सकता हूं कि उसके मेम्बर मौलाना आज़ाद साहब के और कांग्रेस के पक्के अनुयायी हैं। जो पाकिस्तान चले गये हैं, वे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और दूसरी बदतरबातों के डर से ही वहां गये हैं। हम सब हिन्दुस्तान के नागरिकों की तरह आत्मसम्मान और इज्जत से हिन्दुस्तान में रहना चाहते हैं—जो हमारा हक है—न कि दूसरों की दया पर या मेहरबानी पर। मैं निश्चय के साथ कहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान पर हमला हुआ तो हम सब अपने मुल्क हिन्दुस्तान के आखिरी आदमी

तक हिफाजत करेंगे। हमने वार-वार साफ लफ्ज़ों में यह कहा है कि जो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें हिन्दुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए।

इसके बाद गांधीजी के उपवास के परिणामस्वरूप शहर में जो परिवर्तन हुआ, उसका बयान करते हुए उन्होंने कहा कि इसे हम अच्छा शकुन और आनेवाली चीजों का पूर्व लक्षण समझते हैं। हमें संतोष है कि प्रवाह वदल गया है और अव फिरकेवाराना मेलजोल और शान्ति की तरफ वह रहा है, जव कि पहले कडवाहट और नफरत की वजह से दंगे हो रहे थे। अव चूंकि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गए आश्वासनों पर हुकूमत की तरफ से दस्तखत हो गये हैं, हमें संतोष है कि उन आश्वासनों पर अमल होगा, अगरचे ऐसा करने में कुछ वक्त लग सकता है। इसलिए डा० राजेन्द्रसाद की इस अपील का मैं समर्थन करता हूं कि गांधीजी को अपना उपवास तोड़ देना चाहिए।

जव हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से गोस्वामी गणेशदत्तजी उस अपील को दोहरा चुके जव जाहिदहुसैन साहव ने गांधीजी के प्रति कुछ शब्द कहे। वे वोले कि यहां मैं गांधीजी को यह बतलाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि पाकिस्तान के लोग उनके वारे में बहुत चिन्तित हैं और उनकी तन्दुरुस्ती के वारे में जानकारी हासिल करने के लिए मेरे पास रोजाना ढेरों खत आते हैं। उनकी यह दिली ख्वाहिश है कि जल्द ही ऐसी परिस्थिति पैदा हो. जिससे वह अपना उपवास छोड़ सकें। अगर ऐसी कोई बात हो, जिसे मैं गांधीजी का उपवास तुड़वाने के लिए कर सकता हूं तो मैं और पाकिस्तान के लोग उसे करने के लिए तैयार हैं।

जाहिदहुसैन साहव के वाद हुकूमत की तरफ से प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत करने वाले मि० खुर्शीद और श्री रन्धावा ने आश्वासनों को दोहराते हुए कहा कि नागरिकों के प्रतिज्ञा-पत्र में जो शर्तें बयान की गई हैं, उनपर ठीक तरह से अमल किया जायगा और हिन्दुस्तान की राजधानी के

फिरकेवाराना मेल-जोल और शान्ति की पुरानी शानदार परम्परा को वापस लाने में कोई कोशिश वाकी नहीं रहने दी जायगी।

सरदार हरवंशसिंह ने सिक्खों की तरफ से अपने पूर्व वक्ताओं की वातों का समर्थन किया। इसके वाद गांधीजी ने उपवास तोड़ने की अपनी तैयारी जाहिर की। यह क्रिया हमेशा की तरह प्रार्थना से शुरू की गई, जिसमें जापानी, मुस्लिम और पारसी धर्म-ग्रथों में से प्रार्थनाएं पढ़ी गईं। इसके वाद यह मंत्र पढ़ा गया—

"ॐ असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्माऽमृतं गमय।"

फिर आश्रमवासी लड़कियों ने एक हिन्दुस्तानी भजन और एक ईसाई भजन, 'जब मैं आश्चर्यजनक क्रूसको देखता हूं' गाया। इसके वाद रामधुन हुई। मौलाना साहब ने गांधीजी को एक गिलास फल का रस दिया और वहां पर उपस्थित लोगों को फल वांटे जाने और उनके खाने के वाद गांधीजी ने उस रस से अपना उपवास तोड़ा।

: २ :

शान्ति-प्रतिज्ञा-पत्र

वह शान्ति-प्रतिज्ञा-पत्र जिसपर हिन्दुओं, सिखों व मुसलमानों के सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये और जिसपर गांधीजी ने उपवास समाप्त किया, निम्न प्रकार है—

हम यह घोषित करना चाहते हैं कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हिन्दू, मुसलमान और सिख और दूसरे धर्मों के सब माननेवाले फिर से आपस में मिलकर भाई-भाई की तरह दिल्ली में रहें और हम उनसे यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मुसलमानों की जान, धन और धर्म की हम रक्षा करेंगे

और जिस तरह की घटनाएं यहां पहले हो गई हैं उनको फिर न होने देंगे।

१. गांधीजी को हम इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह ख्वाजा कुतुवुद्दीन के उर्स का मेला पहले हुआ करता था, वैसे ही अब भी होगा।

२. जिस तरह मुसलमान दिल्ली के सभी मुहल्लों में और खास तौर पर सब्ज़ीमंडी, करौलवाग और पहाड़गंज में आया-जाया करते थे, वैसे ही वेखटके और वेखतरे फिर से आ-जा सकेंगे।

३. उन मस्जिदों को, जिनको मुसलमान छोड़कर चले गये हैं, या जो हिन्दुओं और सिखों के कब्जे में हैं, उनको वापस दे देंगे। जिन जगहों को खास मुसलमानों के वसने के लिए गवर्नमेण्ट ने रख छोड़ा है उनपर जोर-जवर्दस्ती से कब्जा करने की कोशिश नहीं की जायगी।

४. जो मुसलमान दिल्ली से वाहर चले गये हैं, वे अगर वापस आना चाहें तो हमारी तरफ से कोई वाधा न दी जायगी और मुसलमान अपने कारोवार जिस तरह से करते थे, करने पायेंगे। हम यह इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि ये सव चीजें अपनी कोशिश से पूरी करेंगे और सरकारी पुलिस या फौज की ताकत इसकी खातिर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

५. महात्माजी से हमारा अनुरोध है कि वे हमारी वातों पर विश्वास करके अपना उपवास छोड़ दें और जिस तरह आजतक देश के रहनुमा रहे हैं, वने रहें।

: ३ :

गांधीजी के पहले उपवास

पहला उपवास—सन् १९१३। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स-आश्रम के दो व्यक्तियों के नैतिक दोष के कारण ७ दिन का उपवास और साढ़े चार मास का नियताहार व्रत।

दूसरा उपवास—अगस्त, १९१४। फिनिक्स-आश्रम के एक व्यक्ति

के जानबूझकर धोखा देने और मिथ्याचार करने के कारण १५ दिन का।

तीसरा उपवास—१२ मार्च, १९१८। अहमदावाद में मजदूरों की हड़ताल के सिलसिले में। यह उपवास तीन दिन तक चला था।

चौथा उपवास—१३ अप्रैल, १९१९। रौलट ऐक्ट के विरुद्ध एक दिन हड़ताल की घोषणा के बाद बम्बई, अहमदावाद और नड़ियाद में हुए उपद्रवों के प्रायश्चित्त-स्वरूप तीन दिन का।

पांचवां उपवास—नवम्बर, १९२१। प्रिंस ऑव वेल्स के भारत-आगमन पर बम्बई में उनके स्वागत और बहिष्कार के सम्बन्ध में सहयोगियों और असहयोगियों के बीच हुए झगड़े को रोकने के लिए। यह उपवास पांच दिन तक चला था।

छठा उपवास—फरवरी, १९२२। चौरी-चौरा प्रसंग में पांच दिन का।

सातवां उपवास—१८ सितम्बर, १९२४। देश में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते हुए वैमनस्य तथा दंगों से व्याकुल होकर प्रायश्चित्त और प्रार्थना के रूप में इक्कीस दिन का।

आठवां उपवास—१९२५। साबरमती-आश्रम के कुछ विद्यार्थियों में नैतिक दोष पाने पर एक सप्ताह का।

नवां उपवास—२० सितम्बर, १९३२। यरवदा सेंट्रल जेल में यह आमरण अनशन शुरू हुआ था, जो आठ दिन बाद समाप्त हो गया। यह अनशन ब्रिटिश सरकार द्वारा दलित वर्ग को पृथक् निर्वाचन का अधिकार दिये जाने के विरुद्ध था।

दसवां उपवास—२२ दिसम्बर, १९३२। श्री अप्पासाहब पटवर्धन ने यरवदा सेंट्रल जेल में भंगी का काम मांगने और जेल-अधिकारियों के इन्कार कर देने पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी सहानुभूति में गांधीजी का यह उपवास दो दिन चला।

ग्यारहवां उपवास—८ मई, १९३३। इक्कीस दिन का यह उपवास यरवदा-जेल में हरिजन-आन्दोलन के संबंध में अपनी और अपने साथियों की आत्म-शुद्धि के लिए किया था। उसी दिन वे जेल से छोड़ दिये गए।

अतएव शेष उपवास पूना की 'पर्ण-कुटी' में पूरा हुआ।

वारहवां उपवास—१६ अगस्त, १६३३। उपर्युक्त उपवास के वाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण गांधीजी फिर गिरफ्तार करके यरवदा-जेल में वन्द कर दिये गए। जेल से उन्होंने हरिजन-कार्य के लिए इजाजत मांगी, जिसके न मिलने पर यह अनशन शुरू हुआ। सातवें दिन वे जेल से छोड़ दिये गए।

तेरहवां उपवास—७ जुलाई, १६३४। हरिजन-यात्रा में अजमेर की सभा में सनातनी स्वामी लालानाथ के एक स्वयंसेवक द्वारा पीट दिये जाने पर प्रायश्चित्त के रूप में सेवाग्राम में यह सात दिन का अनशन किया था।

चौदहवां उपवास—३ मार्च, १६३६। राजकोट का आमरण अनशन, जो वाइसराय के आश्वासन देने पर चार दिन के वाद समाप्त हुआ था।

पन्द्रहवां उपवास—१ फरवरी, १६४३। कैदी की हालत में, आगाखां महल में 'सर्वोच्च अदालत से न्याय की अपील' के रूप में इक्कीस दिन का उपवास।

सोलहवां उपवास—२ सितम्बर, १६४७। कलकत्ते में हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए। यह ७३ घंटे चला था।

: ४ :

सर्वधर्म-समभाव

हमारे व्रतों में सहिष्णुता के नाम से परिचित व्रत को यह नया नाम दिया गया है। सहिष्णुता अंग्रेजी शब्द 'टालरेशन' का अनुवाद है। मुझे यह पसन्द न था, पर उस समय दूसरा शब्द सूझता नहीं था। काकासाहब को भी यह नहीं रुचा था। उन्होंने 'सर्व-धर्म-आदर' शब्द सुझाया। मुझे यह भी नहीं जंचा। दूसरे धर्मों को सहने की भावना में उनमें न्यूनता मानी जाती है। आदर में कृपा का भाव आता है। अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के प्रति समभाव

सिखाती है। आदर और सहिष्णुता अहिंसा की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने के मूल में अपने धर्म की अपूर्णता का स्वीकार भी आ जाता है। सत्य की आराधना, अहिंसा की कसौटी यही सिखाती है। सम्पूर्ण सत्य को यदि हमने देख पाया होता तो फिर सत्य के आग्रह की क्या बात थी ? तब तो हम परमेश्वर हो गये होते, क्योंकि हमारी भावना है कि सत्य ही परमेश्वर है। हम पूर्ण सत्य को पहचानते नहीं हैं, इसलिए उनका आग्रह करते हैं। इसीसे पुरुषार्थ की गुंजाइश है। इसमें अपनी अपूर्णता की स्वीकृति आ गई। यदि हम अपूर्ण हैं तो हमारे द्वारा कल्पित धर्म भी अपूर्ण है, स्वतन्त्र धर्म सम्पूर्ण है। हमने उसे देखा नहीं है, वैसे ही जैसे ईश्वर को नहीं देखा है। हमारा माना हुआ धर्म अपूर्ण है और उसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं, होते रहेंगे। यह होने से ही हम उत्तरोत्तर ऊपर उठ सकते हैं, सत्य की ओर, ईश्वर की ओर दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ सकते हैं। जब मनुष्य-कल्पित सब धर्मों को अपूर्ण मान लेते हैं तो फिर किसी को ऊंच-नीच मानने की बात नहीं रह जाती। सभी सच्चे हैं, पर सभी अपूर्ण हैं, इसलिए दोष के पात्र हैं। समभाव होने पर भी हम उनमें दोष देख सकते हैं। हमें अपने में भी दोष देखना चाहिए। उस दोष के कारण उसका त्याग न करें; बल्कि दोष को दूर करें। इस प्रकार समभाव रखने से दूसरे धर्मों के ग्राह्य अंश को अपने धर्म में लेते संकोच न होगा। इतना ही नहीं, बल्कि वैसा करना धर्म हो जायगा।

सब धर्म ईश्वरदत्त हैं, पर मनुष्य-कल्पित होने के कारण, मनुष्य द्वारा उनका प्रचार होने के कारण, वे अपूर्ण हैं। ईश्वरदत्त धर्म अगम्य है। उसे भाषा में मनुष्य प्रकट करता है, उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है। किसका अर्थ सच्चा माना जाय ? सब अपनी-अपनी दृष्टि से, जबतक वह दृष्टि बनी है तबतक, सच्चे हैं। पर झूठा होना भी असम्भव नहीं है। इसलिए हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती; बल्कि स्वधर्म-विषयक प्रेम अन्धा न रहकर ज्ञानमय हो जाता है, अधिक सात्त्विक और निर्मल बनता है। सब धर्मों के

प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चक्षु खुल सकते हैं। धर्मांधता और दिव्य दर्शन में उत्तर-दक्षिण जितना अन्तर है। धर्मज्ञान होने पर अन्तराय मिट जाते हैं और समभाव उत्पन्न हो जाता है। इस समभाव के विकास से हम अपने धर्म को अधिक पहचान सकते हैं।

यहां धर्म-अधर्म का भेद नहीं मिटता। यहां तो उन धर्मों की बात है, जिन्हें हम निर्धारित धर्म के रूप में जानते हैं। इन सभी धर्मों के मूल सिद्धान्त एक ही हैं। सभी में सन्त स्त्री-पुरुष हो गये हैं, आज भी मौजूद हैं। इसलिए धर्मों के प्रति समभाव में और धर्मियों—मनुष्यों के प्रति जिस समभाव की बात है उसमें, कुछ अन्तर है। मनुष्यमात्र, दुष्ट और श्रेष्ठ के प्रति, धर्मी और अधर्मी के प्रति समभाव की अपेक्षा है, पर अधर्म के प्रति कदापि नहीं।

तब प्रश्न यह होता है कि बहुत-से धर्मों की आवश्यकता क्या है? हम जानते हैं कि धर्म अनेक हैं। आत्मा एक है, पर मनुष्यदेह अगणित हैं। देह की असंख्यता टाले नहीं टल सकती; तथापि आत्मा की एकता को हम पहचान सकते हैं। धर्म का मूल एक है, जैसे वृक्ष का; पर उसके पत्ते असंख्य हैं।

वह विषय इतने महत्त्व का है कि मैं इसपर और विस्तार से लिखना चाहता हूं। अपना कुछ अनुभव लिख दूं तो शायद समभाव का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाय। यहां की तरह फिनिक्स में भी नित्य प्रार्थना होती थी। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई थे। स्वर्गीय सेठ रुस्तमजी या उनके लड़के प्रायः उपस्थित रहते ही थे। सेठ रुस्तमजी को "मने वहालुं वहालुं दादा रामजीनुं नाम" (मुझे रामनाम प्रिय है) बहुत अच्छा लगता था। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मगनलाल या काशी हम सबको यह गवा रहे थे। रुस्तमजी सेठ उल्लास में बोल उठे, 'दादा रामजी' के बदले 'दादा होरमज्द' गाओ न! गवाने और गानेवालों ने इस सूचना पर तुरन्त इस तरह अमल किया मानो वह बिल्कुल स्वाभाविक हो। और इसके बाद से रुस्तमजी जब उपस्थित होते तब तो अवश्य ही और जब न होते तब भी, कभी-कभी हम लोग

वह भजन 'दादा होरमज्द' के नाम से गाते। स्व० दाऊद सेठ का पुत्र हुसैन तो आश्रम में वहुत वार रहता। वह प्रार्थना में उत्साहपूर्वक शामिल होता था। वह खुद मधुर स्वर में वाद्य-यंत्र के साथ "ये वहारे वाग दुनिया चन्द रोज" गाया करता, तथा वह भजन हम सवको उसने सिखा दिया था। वह वहुत वार प्रार्थना में गाया जाता था। हमारे यहां की 'आश्रम-भजनावली' में उसे स्थान मिला है, वह सत्य-प्रिय हुसैन की स्मृति है। उसकी अपेक्षा अधिक तत्परता से सत्य का आचरण करनेवाला नवयुवक मैंने नहीं देखा। जोसफ रोयपेन आश्रम में अक्सर आते-जाते थे। वह ईसाई थे। उन्हें 'वैष्णव-जन' वाला भजन वहुत अच्छा लगता था। संगीत का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने 'वैष्णव जन' के स्थान पर 'क्रिश्चियन-जन तो तेने कहिए' अलाप दिया। सवने तुरन्त उनका साथ दिया। मैंने देखा कि जोसफ के आनन्द का पारावार न रहा।

आत्मसंतोष के लिए जव मैं भिन्न-भिन्न धर्म-पुस्तकें उलट रहा था तव मैंने ईसाई, इस्लाम, जरथुस्ती, यहूदी और हिन्दू इतनों की पुस्तकों का अपने संतोष-भर के लिए परिचय कर लिया था। मैं कह सकता हूं कि इस अध्ययन के समय सभी धर्मों के प्रति मेरे मन में समभाव था। मैं यह नहीं कहता कि उस समय मुझे यह ज्ञान था। उस समय समभाव का भी पूरा परिचय न रहा होगा; परन्तु उस समय की अपनी स्मृतियां ताज़ी करता हूं तो मुझे याद नहीं आता कि उन धर्मों के संवंध में टीका-टिप्पणी करने की इच्छा तक हुई हो, वरन् उनके ग्रंथों को धर्म-ग्रंथ मानकर आदरपूर्वक पढ़ता और सव में मूल नैतिक सिद्धान्त एक जैसे ही पाता था। कितनी ही वातें मैं नहीं समझ सकता था। यही वात हिन्दू धर्म-ग्रंथों के संवंध में भी थी। आज भी कितनी ही वातें नहीं समझता; पर अनुभव से देखता हूं कि जिसे हम नहीं समझ सकते वह गलत ही है, यह मानने की जल्दवाजी करना भूल है। कितनी ही वातें पहले समझ में नहीं आती थीं, वे आज दीपक की तरह दिखाई देती हैं। समभाव का अभ्यास करने से अनेक गुत्थियां अपने-आप सुलझ जाती हैं और जहां हमें दोष ही दिखाई दें, वहां उन्हें दरशाने में भी

नम्रता और विवेक होने के कारण किसीको दुःख नहीं होता।

एक कठिनाई शायद रह जाती है। ऊपर मैंने कहा है कि धर्म-धर्म का भेद रहता है और धर्म के पति समभाव रखने का अभ्यास करना यहां उद्देश्य नहीं है। यदि ऐसा हो तो धर्माधर्म का निर्णय करने में ही क्या सम-भाव की श्रृंखला नहीं टूट जाती? यह प्रश्न उठ सकता है। और यह भी संभव है कि ऐसा निर्णय करनेवाला भूल कर बैठे। परन्तु हम में यदि वास्तविक अहिंसा मौजूद रहे तो हम वैरभाव से बच जाते हैं; क्योंकि अधर्म देखते हुए भी उस अधर्म का आचरण करनेवाले के प्रति तो प्रेम-भाव ही होगा। इससे या तो वह हमारी दृष्टि स्वीकार कर लेगा अथवा हमारी भूल हमें दिखायेगा। या दोनों एक-दूसरे के मतभेद को सहन करेंगे। अन्त में विपक्षी अहिंसक न हुआ तो वह कठोरता से काम लेगा; तो भी, हम अहिंसा के सच्चे पुजारी होंगे तो इसमें संदेह नहीं कि हमारी मृदुता उसकी कठोरता को अवश्य दूर कर देगी। दूसरे को, भूल में भी, हमें पीड़ा नहीं पहुंचानी है, हमें खुद ही कष्ट सहना है। इस स्वर्ण-नियम का पालन करने वाला सभी संकटों से बच जाता है।

'मंगल-प्रभात से']

गांधीजी की अन्य पुस्तकें

१. गीताबोध
२. अनासक्ति-योग
३. सर्वोदय
४. मंगल-प्रभात
५. नीति-धर्म
६. ग्राम-सेवा
७. आश्रमवासियों से
८. राष्ट्रवाणी
९. एक सत्यवीर की कथा
१०. संक्षिप्त आत्मकथा
११. हिन्द-स्वराज्य
१२. बापू की सीख
१३. गांधी-शिक्षा (तीन भाग)
१४. आज का विचार
१५. अनीति की राह पर
१६. ब्रह्मचर्य (दो भाग)



पैसे